हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 जुलाई, 1997

खण्ड I, अंक 14

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 21 जुलाई, 1997

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(14)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(14)11
नियम-45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(14)25
सचिव द्वारा घोषणा	(14)29
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	(14)30
खेल राज्य मन्त्री द्वारा	(14)30
स्थगन प्रस्ताव की सूचना/बैठक का स्थगन	(14)30
बिजनैस एजवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(14)31
वाक आउट	(14)37
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(14)38
वर्ष 1992-93 की एक्सैस डिमांडज ओवर ग्रांटस एंड एप्रोप्रिएशंज प्रस्तुत करना	(14)39
बिल्ज—	
(i) दि हरियाणा एंड पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1997	(14)39
(ii) दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1997	(14)40
(iii) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1997	(14)42

मूल्य :

49 00

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 21 जुलाई, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रोफैसर छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री शोक प्रस्ताव पेश करेंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, इस सैशन की पिछली सिटिंग और इस सिटिंग के बीच में हमारे कुछ साथी इस असार संसार से चले गए हैं, मैं उनके बारे शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सरदार हरमिन्द्र सिंह, हरियाणा के मंत्री

यह सदन हरियाणा के मंत्री सरदार हरमिन्द्र सिंह के 13 मई, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

सरदार हरमिन्द्र सिंह का जन्म 4 फरवरी, 1936 को हुआ। उन्होंने एम०ए०, एल०एल०बी० की डिग्री प्राप्त की। वह 1960 में संयुक्त पंजाब के हिसार ज़िले के सरकारी वकील नियुक्त किए गए। उन्होंने 1964 में सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर फतेहाबाद में वकालत शुरू कर दी। सरदार हरमिन्द्र सिंह ने अपना राजनैतिक जीवन 1968 में शुरू किया और वे एक लोकप्रिय नेता व सक्रिय समाजसेवी थे। वह मई 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए और 14 जनवरी, 1997 को मंत्री बने। वह अपने क्षेत्र में कई सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे। वह बड़े ही शान्त, शिष्ट एवं दयालू स्वभाव के व्यक्ति थे।

उनके निधन से राज्य एक कुशल प्रशासन और विवेकशील जन-सेवक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री बंसी लाल]

श्री अतर सिंह मांढीवाला, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतर सिंह मांढीवाला जी हमारे माननीय सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह के पिता जी थे के 13 जुलाई, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 16 जनवरी, 1926 को हुआ। उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। व्यवसाय से कृषक श्री अतर सिंह 1952 एवं 1957 में तकालीन पेपसू विधान सभा के सदस्य चुने गये और वर्ष 1952-53 के दौरान मंत्री रहे। वह वर्ष 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने गरीबों के उत्थान में गहरी रूची ली।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक एवं समाज सुधारक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री बीजू पटनायक, उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, भारत सरकार

यह सदन उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक के 17 अप्रैल, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री बीजू पटनायक का जन्म 5 मार्च, 1916 को हुआ। उन्होंने अपनी बी०एस०सी० की शिक्षा को बीच में छोड़ कर पॉयलट की ट्रेनिंग ली जो अन्ततः उन्हें रायल एयर फोर्स में शामिल होने में सहायक सिद्ध हुई। उन्होंने निडरता से 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भाग लिया, जिसके दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा। एक कुशल पॉयलट के रूप में इन्डोनेशिया के स्वतन्त्रता सेनानियों की सहायता के लिए उनके अदम्य साहस तथा 1948 में जम्मू-कश्मीर पर हमले के दौरान निभाई गई उनकी भूमिका युवको के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगी। विमान द्वारा सैनिकों को श्रीनगर तक ले जाने वाले वह पहले व्यक्ति थे। वह 1952 से 1973 के दौरान उड़ीसा विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1985 और 1990 में पुनः उड़ीसा विधान सभा के लिए चुने गए। वह 1961 से 1963 और पुनः 1990 से 1995 तक उड़ीसा के मुख्य मंत्री रहे।

वह 1972 में राज्य सभा के लिए चुने गए और 1977 से 1979 तथा 1980 से 1984 तक लोक सभा के सदस्य भी रहे। वह 1977 से 1980 के दौरान मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमण्डल में कन्द्रीय मंत्री रहे।

उनके निधन से देश विकास के लिए वचनबद्ध, योग्य प्रशासक, अनुभवी सांसद और एक महान् देशभक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार आत्मा सिंह, पंजाब के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन पंजाब के भूतपूर्व मंत्री सरदार आत्मा सिंह के 27 मई, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 28 जनवरी, 1912 को हुआ। वे 1952, 1957, 1969 और 1977 में पंजाब विधान सभा के लिए चुने गये। वह 1969 और पुनः 1977 में मंत्री रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक, समाजसेवी और एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री लेख राम ठाकुर, तत्कालीन पैप्सु विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष

यह सदन तत्कालीन पैप्सु विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री लेखराम ठाकुर के 3 मई, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 अक्तूबर, 1926 को हुआ। अपनी शिक्षा के बाद वह सेना में भर्ती हो गए और "आजाद हिन्द फौज" से सम्बद्ध रहे। वह प्रजा-मण्डल आन्दोलन के संस्थापकों में से एक थे। वह 1952 में तत्कालीन पैप्सु विधान सभा के लिए चुने गए और इसके उपाध्यक्ष रहे। वह 1967 और पुनः 1972 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गए। वह हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे और 1977 में राज्य मंत्री भी रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक, अनुभवी विधायक और एक प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री के०एस० पाठक, सिंचाई विभाग, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता

यह सदन सिंचाई विभाग, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता श्री के०एस०पाठक के 14 जुलाई, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 2 जून, 1919 को हुआ। वह 16 जून, 1942 को सिंचाई विभाग में एस०डी०ओ० के पद पर नियुक्त किए गए और उन्हें 25 जुलाई, 1969 को मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया तथा 21 अगस्त, 1974 तक वह इस पद पर रहे। वह अगस्त 1974 से जून 1977 तक वैपकोस, नई दिल्ली के चेयरमेन भी रहे। श्री पाठक एक निपुण एवं विवेकशील व्यक्ति थे, जिन्होंने सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता के रूप में उठान सिंचाई योजनाओं की रूप-रेखा तैयार करके दक्षिणी-हरियाणा के शुष्क इलाकों को हरा-भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य के प्रति समर्पित सेवाओं के लिए उन्हें 'पद्मश्री' से अलंकृत किया गया। वर्तमान सरकार में सिंचाई सलाहकार के रूप में कार्यरत श्री पाठक सिंचाई प्रणाली को एक नई दिशा देने में लगे हुए थे।

उनके निधन से देश एक निपुण एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

मास्टर हरि सिंह, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, मास्टर हरि सिंह के 16 जून, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 18 मार्च, 1902 को हुआ। उन्होंने अपना जीवन एक अध्यापक के रूप में शुरू किया। वह 1937 और पुनः 1946 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह पंजाब विधान परिषद् के भी दो बार सदस्य रहे। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया।

[श्री बंसी लाल]

उनके निधन से देश एक योग्य विधायक और एक महान् स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कामरेड बचन सिंह, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य कामरेड बचन सिंह के 8 मई, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 19 सितम्बर, 1919 को हुआ। उन्होंने अपना जीवन एक पॉयलट के रूप में शुरू किया। वह 1952 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। उन्हें 1972 में 'ताम्रपत्र' से विभूषित किया गया।

उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री एस०पी० सिंह, वरिष्ठ पत्रकार एवं दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रख्यात व्यक्तित्व

यह सदन वरिष्ठ पत्रकार एवं दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रख्यात व्यक्तित्व श्री एस०पी०सिंह के 27 जून, 1997 को हुए दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 3 दिसम्बर, 1948 को हुआ। उन्होंने नवभारत टाइम्स के मुम्बई कार्यालय में नियुक्त होने से पहले एक लैक्चरार के रूप में अपना जीवन शुरू किया। वे शीघ्र ही माधुरी पत्रिका में चले गए तत्पश्चात् मार्च 1977 में धर्मयुग पत्रिका के उप-सम्पादक नियुक्त हुए। वे आनन्द बाजार पत्रिका समूह की साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका 'रविवार' के सहायक सम्पादक के पद पर रहे और बाद में इसके सम्पादक बने। वर्ष 1985 में वह 'नवभारत टाइम्स' में स्थानीय सम्पादक के पद पर वापिस चले गये।

वह 1986 में 'नवभारत टाइम्स' के कार्यकारी सम्पादक नियुक्त किये गए और उनका स्थानान्तरण मुम्बई से दिल्ली किया गया। वह जुलाई 1995 में 'इण्डिया टुडे' के क्षेत्रीय संस्करणों के कार्यकारी सम्पादक बने। अपने निधन के समय वे दूरदर्शन के लोकप्रिय समाचार कार्यक्रम 'आज तक' के कार्यकारी निर्माता थे। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की शैली के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा।

उनके निधन से देश एक प्रतिभाशाली पत्रकार, महान् लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 22 मई, 1997 को मध्य प्रदेश के जब्बलपुर शहर में आये भूकम्प से मरने वाले लोगों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 15 अप्रैल, 1997 को मक्का के नज़दीक मीना में भीषण आग से मरने वाले श्रद्धालुओं के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 6 अप्रैल व 6 जून, 1997 को पठानकोट में बसों और 8 जुलाई, 1997 को भटिंडा के निकट एक यात्री रेलगाड़ी में हुए बम विस्फोट में मरने वाले लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 13 जून, 1997 को दक्षिणी-दिल्ली के 'उपहार' सिनेमा हाल में भीषण आग और भगदड़ से मरने वाले लोगों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 13 जुलाई, 1997 को ज़िला पानीपत के भालसी गांव के निकट एक ट्रक की हरियाणा परिवहन की खड़ी बस से टक्कर हो जाने से मरने वाले यात्रियों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरदार हरमिन्दर सिंह जी चौधरी बंसी लाल जी के मंत्रि-मण्डल के सदस्य थे, बड़े नेक इंसान थे। उनका शरीर पूरा होने से दो दिन पहले भी हम सब उनकी चर्चा कर रहे थे। वे बहुत हिम्मत वाले और बड़े साफ दिल के आदमी थे। उनके निधन से बहुत गहरा धक्का लगा है।

इसी तरह चौधरी अतर सिंह मांढीवाला हमारे भाई नृपिन्द्र सिंह जी जो बाढड़ा से विधायक हैं, उनके पिता थे। मेरे पड़ौस के थे, वे सबसे छोटी उम्र के विधायक उस इलाके से 1952 में चुनकर आए और तब से लेकर के अब तक वे संघर्ष करते रहे। पैप्सू का जब समय था तो उस समय सबसे छोटी उम्र के मंत्री होने का सौभाग्य उनको मिला। वे पूरे हमारे जिले व इलाके में ईमानदारी व अपने साफ दिल के लिए प्रसिद्ध थे। किसानों और गरीबों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया उसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा।

इसी तरह श्री बीजू पटनायक जी जनता पार्टी के समय हमारे साथ थे और वे अपने अंदाज के राजनेता थे। वे सर्विसिज से राजनीति में आए। आजादी की लड़ाई के समय आप सबकी ध्यान होगा कि किस तरह से वे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को खुद पायलट बनकर हवाई जहाज से गोआ के आंदोलन में से निकालकर ले आए थे। उनके निधन से देश ने एक बहुत बड़े देशभक्त को खो दिया है और राजनीति में बहुत बड़ा स्थान खाली हुआ है। उनके निधन पर मैं उनके परिवारजनों को संवेदना प्रकट करता हूं।

[श्री राम बिलास शर्मा]

इसी प्रकार सरदार आत्मा सिंह जी पंजाब के पूर्व मंत्री श्री लेख राम ठाकुर, के०एस० पाठक जिनका हरियाणा के उस इलाके के निर्माण में जिसमें पानी के दर्शन नहीं होते थे यह जो भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिला जहां खींप और फोंक के सिवाय कुछ नहीं होता था वहां के लोगों को ईख की फसल की कल्पना करने की हिम्मत के०एस० पाठक ने दी। उनके और चौधरी बंसी लाल जी के प्रयासों से वहां ईख की फसल होने लगी। श्री के०एस० पाठक के निधन से अभियंता जगत में बहुत बड़ी खलल पैदा हुई है।

इसी तरह मास्टर हरि सिंह, कामरेड बचन सिंह जी के निधन पर मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। इसी तरह श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। हिन्दुस्तान और दुनियां के लोग 'आज तक' नामक जो कार्यक्रम दूरदर्शन पर देखते थे इससे पूर्व दूरदर्शन पर अंग्रेजी कार्यक्रमों की होड़ लगी हुई थी उसमें हिन्दी का कोई कार्यक्रम किसी ने प्रारम्भ किया, हिन्दी को इलैक्ट्रौनिक मीडिया पर मान्यता दिलाई तो वह सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने दिलाई और हिन्दी पत्रकारिता में नये इतिहास की रचना की। उनके निधन के बाद से टैलीविजन के डिब्बे में लोग सूना-सूना सा महसूस करते हैं। हिन्दी पत्रकारिता को उन्होंने बहुत बड़ी विश्वसनीयता प्रदान की। कल ही हम उनको बहादुरगढ़ में श्रद्धांजलि दे रहे थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों पर तरह तरह की तोहमतें आती हैं यह काफी कठिन काम होता है वे न्याय के पक्षधर थे। शोषण के विरुध जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता था उनकी आवाज एस०पी०सिंह जी उठाते थे उनके निधन से पत्रकारिता जगत और कलमकारों के बीच बड़ा खलल पैदा हुआ है। उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। स्पीकर सर, जबलपुर में भूकम्प से जिन लोगों का निधन हुआ, मक्का के समीप मीना में आग से जिन लोगों का बदन जला, पठानकोट में बस में बम विस्फोट से और भटिंडा में यात्री गाड़ी में बम फटने से जिन लोगों का निधन हुआ, उपहार सिनेमा में लगी आग से जिन लोगों की मृत्यु हुई उन सब के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। उपहार सिनेमा में लगी आग की त्रासदी के समय एस०पी०सिंह के मुँह से यह शब्द निकले कि हादसे तो यूं ही होते रहते हैं और जिन्दगी चलती रहती है उसके आगे उनकी बुलन्द आवाज बंद हो गई और दूरदर्शन पर उनकी आवाज दोबारा नहीं आई। उपहार सिनेमा में जिन लोगों का देहान्त हुआ और पानीपत के समीप बस दुर्घटना में जिन लोगों का निधन हुआ उनके परिवार जनों के प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। महोदय, मैं सदन के नेता से निवेदन करता हूं कि हमारे सदस्य चौधरी जगबीर सिंह मलिक जो गोहाना से चुनकर आये हैं उनके पूज्य पिता जी चौधरी फतेसिंह जी के निधन का प्रस्ताव भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल करने का कष्ट करें। चौधरी फतेसिंह एक योग्य वकील थे, चेयरमैन थे। मैं चौधरी जगबीर सिंह मलिक और श्री नृपेन्द्र सिंह के प्रति अपनी संवेदना और उनके दुख में शामिल होते हुए इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री रामपाल माजरा (पाई) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता द्वारा रखे गए शोक प्रस्ताव में मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शामिल होता हूं। पिछले सत्र से लेकर आज तक के सत्र तक हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में बड़ी-बड़ी हस्तियां चली गई उनकी क्षति की पूर्ति तो नहीं हो पायेगी परन्तु यह देश और यह प्रदेश सरदार हरमिन्द्र सिंह जैसे बहुत ही होनहार और जो अपने वक्तव्य देने में निर्भीक और नापाक सेवा के धनी थे महरूम हो गया है क्योंकि वह आज हमारे बीच में नहीं हैं। इस कुर्सी पर बैठकर अपनी आवाज बुलन्द किया करते थे और आज हरियाणा की सरकार में उन जैसा ईमानदार न मंत्री है न विधायक है उनका अपना ही रूतबा अलग था। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ

से सरदार हरमिन्द्र सिंह के शोकग्रस्त परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परम पिता से इस शोकग्रस्त परिवार को यह सदमा बर्दाश्त करने की प्रार्थना करता हूं। इसके साथ ही श्री अतर सिंह जैसे जिम्मेवार आदमी जो इस सदन में जनता की आवाज उठाते थे हम से अब जुदा हो गये उनके लड़के जिंग्र आज हमारे बीच में हैं। आज उनके द्वारा ही हम उनके कामों को आगे बढ़ायें यही हम सब की उनको सच्ची श्रद्धांजली होगी। श्री बीजू पटनायक जी जो उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे और जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और जिनकी वजह से हम आजाद हुए वे हम से जुदा हो गये। उनके शोक प्रस्ताव में भी मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शामिल होता हूं। इन जैसे बड़े नेता के इस देश से जुदा होने से यह देश काबिल नेता से महरूम हो गया है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरदार आत्मा सिंह पंजाब के भूतपूर्व मंत्री रहे जो पंजाब के ही नहीं बल्कि हरियाणा के अन्दर भी उनकी समाज सेवा चली। आज हम से जुदा हो गये और इस दुनिया से चले गये आज हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्री लेख राम ठाकुर, तत्कालीन पैप्सु विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष के हुए दुःखद निधन पर यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है। वे आजाद हिन्द फौज के सदस्य भी रहे। वह प्रजा-मण्डल आन्दोलन के संस्थापकों में से एक थे। आज वह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक, अनुभवी विधायक और एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री के०एस०पाठक, सिंचाई विभाग, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता के हुए दुःखद निधन पर यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है। वे एक महान विभूति थे जिनको राज्य के प्रति समर्पित सेवाओं के लिए 'पदमश्री' से अलंकृत किया गया। उनके चले जाने से इस सदन को बड़ा भारी आघात लगा है।

मास्टर हरि सिंह, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के भी निधन पर यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है। उनके निधन से देश एक योग्य विधायक और एक महान स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कामरेड बचन सिंह, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के हुए दुःखद निधन पर भी यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है। उन्हें 1972 में 'ताम्र पत्र' से विभूषित किया गया। इस प्रकार एक महान् हस्ती के हमारे बीच में से चले जाने पर उनकी सेवाओं से यह देश वंचित हो गया। है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है तथा प्रार्थना करता है कि भगवान् उनके परिवार को इस हादसे को बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री एस०पी०सिंह, वरिष्ठ पत्रकार एवं दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रख्यात व्यक्तित्व के हुए दुःखद निधन पर यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है। उन्होंने नवभारत टाइम्स, माधुरी पत्रिका, धर्मयुग, आनन्द बाजार, रविवार, इंडिया टू डे, इत्यादि पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से इस देश को एक नई दिशा प्रदान की। वे एक सजग प्रहरी थे। आज उनके असामयिक निधन से यह देश उनकी सेवाओं से वंचित हो गया है।

इसके साथ ही, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आये भूकम्प से मरने वाले लोगों के दुःखद व असामयिक निधन पर यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है। मक्का के नजदीक मीना में भीषण आग से मरने वाले श्रद्धालुओं के दुःखद निधन पर हमारी पार्टी व सदन गहरा शोक प्रकट करते हैं। पठानकोट

[श्री राम पाल माजरा]

में दो बसों और भटिंडा के निकट एक यात्री रेलगाड़ी में हुए बम विस्फोट में मरने वाले लोगों के दुःखद निधन पर यह सदन व हमारी पार्टी गहरा शोक प्रकट करते हैं। दक्षिणी-दिल्ली के उपहार सिनेमा हाल में भीषण आग और भगदड़ से मरने वाले लोगों के दुःखद निधन पर भी यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है तथा दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी प्रकार से जिला पानीपत के मालसी गांव के निकट एक ट्रक की हरियाणा परिवहन की खड़ी बस से टक्कर हो जाने से मरने वाले यात्रियों के दुःखद निधन पर भी हमारी पार्टी गहरा शोक प्रकट करती है। धन्यवाद।

श्रीमती करतार देवी (कलानौर, अनुसूचित जाति) : स्पीकर सर, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। विधि का यह विधान है कि जो आया है, सो वह अवश्य जाएगा, चाहे वह राजा हो, रंक हो, बच्चा हो या वृद्ध हो। यह तो केवल परमपिता परमात्मा को ही पता है कि किस व्यक्ति ने कब जाना है लेकिन एक दिन जाना सभी ने ही है। फिर भी इस व्यावहारिक जगत में जो विभूतियां समाज के बीच में से चली जाती हैं, उनके कार्यकलापों को याद करके ऐसा लगता है कि इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। इस प्रकार से उनकी अच्छाईयों को याद किया जाता है। सरदार हरमिन्दर सिंह जी इसी सदन के सदस्य थे। वे मिनिस्टर भी थे और एक मिलनसार व ईमानदार व्यक्ति थे। वाकई उनके जीवन-चरित्र से आज की पीढ़ी को काफ़ी प्रेरणा मिल सकती है। मैं उनके शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं। इसी प्रकार से, श्री अत्तर सिंह मांढीवाला, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य जो कि हमारे साथ के इलाके से थे, इस संसार से चले गए। वे एक ग्रेजुएट होते हुए भी बिल्कुल सीधी-सादी आम भाषा में बात करके आम लोगों के बीच में काम करते थे। समाज में उनकी बहुत अच्छी छवि रही।उनके चले जाने से भी समाज में बहुत ज्यादा क्षति हुई है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनके परिवार के सदस्यों के प्रति और खास करके माननीय सदस्य श्री नृपेन्द्र सिंह जी के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं कि उनको परम पिता परमात्मा यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इसी तरह से हमारे माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक के पिता श्री फतेह सिंह जी हमारे बीच से चले गए। वे हमारे पास के गोहाना के एक प्रख्यात वकील थे और समाजसेवी थे। उनके चले जाने से उस इलाके के लोगों को बहुत भारी नुक्सान हुआ है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनके परिवार के सदस्यों के प्रति और खास करके माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक जी के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं कि परम पिता परमात्मा उनको यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उनको अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की शक्ति प्रदान करे। श्री बीजू पटनायक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे समाज में परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए उसके परिणाम देखे बिना उसमें कूद जाते थे। स्पीकर साहब, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को पटनायक जी खुद पायलट बन कर गोआ से ले कर आए थे। इंडोनेसिया में जब महान क्रांति आई तो उस समय वहां के प्रधान सुकारनों को बचाने का अदम्य साहस किया। उन्होंने श्री बीजू पटनायक के काम को बड़ा सराहा और इंडोनेसिया की सरकार ने पटनायक जी को वहां के सबसे बड़े भूमि पुत्र के सम्मान से उनको सम्मानित किया। उनके चले जाने से हमें बहुत दुख है। सरदार आत्मा सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ज्वायंट पंजाब में अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। उनके चले जाने से भी हमें बड़ा दुख है। श्री लेख राम ठाकुर आजाद हिन्द फौज से संबंधित रहे। वह प्रजा मंडल आन्दोलन के संस्थापकों में से एक थे। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक, अनुभवी विधायक और

एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। हमें इसका बहुत भारी दुख है। इसी तरह से मास्टर हरि सिंह और कामरेड बचन सिंह जी के चले जाने से हमें बड़ा दुख है। उनके चले जाने से देश एक योग्य प्रशासक और अनुभवी विधायकों की सेवाओं से वंचित हो गया है। इसी तरह से श्री एस०पी० सिंह की दूरदर्शन के क्षेत्र में ऐसी भूमिका रही है जिससे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति टी०वी० देखता है उसको ऐसा लगता है कि उनका अपना कोई संसार से चला गया है उनका कहानी को अभिव्यक्त करने का ऐसा तरीका था जिसका काफी लोग अनुसरण करते हैं। जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि वह अपने प्रोग्राम के लास्ट में यह कहते थे कि आज तक और इन्तजार कीजिए कल तक। अब उनके संसार से चले जाने के बाद कल तक का इंतजार अब हमेशा के लिए इंतजार रह गया है। उनके चले जाने से हमें बड़ा दुख है। इसी तरह से देश में जो भिन्न भिन्न हादसे हुए हैं उनका हमें बड़ा दुख है। जब्बलपुर में आए भूकम्प से मरने वाले लोगों का मक्का के नजदीक मीना में भीषण आग से मरने वाले, पठानकोट में दो बसों और 8 जुलाई 1997 को भटिंडा के निकट एक यात्री रेलगाड़ी में हुए बम विस्फोट में मरने वाले उपहार सिनेमा हाल में भीषण आग और भगदड़ से मरने वाले और जिला पानीपत के भालसी गांव के निकट एक ट्रक की हरियाणा परिवहन की खड़ी बस से टक्कर हो जाने से मरने वाले यात्रियों के प्रति मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि परमात्मा उनके परिवार वालों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इन शब्दों के साथ मैं सदन से यह प्रार्थना करती हूं कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से देखने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री देवीदयाल नन्हां कुरुक्षेत्र के एक बहुत बड़े विद्वान और संघर्षशील पत्रकार थे। उनके निधन से पत्रकारिता जगत को बहुत नुक्सान हुआ है। उनके निधन से उनके परिवार को जो हानि हुई है उस पर मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि चौधरी फतेह सिंह और श्री देवीदयाल नन्हां का नाम भी इन शोक प्रस्तावों की सूची में शामिल कर लिया जाये।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों नामों को भी इस प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस श्री जे०एस० बेदी जी का भी निधन हो गया। मैं सदन के नेता से गुजारिश करता हूं कि इन शोक प्रस्तावों की सूची में इनका नाम भी शामिल कर लिया जाये।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इनका नाम भी शामिल कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण जिन दिवंगत आत्माओं के बारे में विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनमें मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूं।

सरदार हरमिन्दर सिंह जी जो इसी सदन के माननीय सदस्य थे और हरियाणा सरकार के मंत्री थे, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा प्रभावशाली था। वे लोगों के बीच में रहने वाले इंसान थे। उन्होंने हमेशा ही अपने इलाके की समस्याओं को प्रमुखता से समझा और उनका हल निकालने की कोशिश करते रहे इसी कारण वे बड़े लोकप्रिय नेता थे। ऐसे महान नेता के हमारे बीच में से चले जाने से हमें क्षति पहुंची है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस महान क्षति को सहन करने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे।

[श्री अध्यक्ष]

श्री अवतार सिंह भांढीवाला इस सदन के भी सदस्य रहे हैं और पेपसू विधान सभा में भी 1952 एवं 1957 में विधायक रहे। वे 1952-53 के दौरान मंत्री भी रहे। उन्होंने मेरे ही विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। मेरा उनके साथ 40 वर्षों से व्यक्तिगत संबंध रहा है। वे कोई भी बात जो सही हो और चाहे कितनी ही कड़वी हो करने से पीछे नहीं हटते थे। यानी वे अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कह देते थे। शायद 1952 में वे पेपसू में जब विधायक चुने गए तो सबसे कम उम्र के वे सदस्य उस वक्त के थे। उन्होंने चन्द महीने मंत्री के रूप में भी काम किया था। उस दौरान उन्होंने एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। यही कारण रहा कि वे 1957 में फिर विधायक चुने गए। इसी प्रकार से 1991 में भी वे विधायक चुने गए थे। उनमें एक खूबी थी कि उनके चुनावों में उनके दोस्तों और मतदाताओं की कमी नहीं आई। क्योंकि जब भी उन्हें मौका मिलता तो वे अपने दोस्तों के लिए और अपने मतदाताओं के हकों के लिए लड़ते रहे। मुझे उनके निधन से व्यक्तिगत क्षति हुई है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब वे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे तो उस वक्त उन्होंने प्रजामंडल मुवमेंट में भी काम किया था। वे एक महान संघर्षशील और ईमानदार नेता थे। उनके निधन से जो समाज को और उनके परिवार को क्षति हुई है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। उनके सुपुत्र श्री नृपेन्द्र सिंह जो इस समय इस सदन के माननीय सदस्य है मैं उनके माध्यम से उस शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे ऐसे महान व्यक्ति को अपनी शरण दें।

श्री बीजू पटनायक न सिर्फ उड़ीसा के ही नेता थे बल्कि वे समस्त भारत के उन महान नेताओं में से थे जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि he was the son of the soil. उन्होंने अपना जीवन एक पायलट के रूप में आरम्भ किया। इसके बाद वे राजनीति में आये। वे एक अच्छे कुशल पायलट थे। जिस प्रकार वे एक अच्छे पायलट थे उसी प्रकार से राजनीति में भी वे एक अच्छे राजनेता थे। इसी कारण वे पायलट से मुख्य मंत्री बने और केन्द्र में मंत्री बन कर विभिन्न पदों पर काम किया। वे एक बड़े अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर थे। वे एक महान और निडर नेता के रूप मे जाने जाते हैं। उनके चले जाने से देश को बहुत हानि हुई है। सरदार अत्मा सिंह पंजाब के भूतपूर्व मंत्री और पैप्सू के समय में पहली बार मैम्बर चुने गए थे। उनके निधन से भी बड़ा आघात पहुंचा है। श्री लेख राम ठाकुर जो पैप्सू विधान सभा के उपाध्यक्ष थे। उस समय चौधरी अतर सिंह भांढीवाला पहली बार एम०एल०ए० बन कर आए थे, उनके निधन से भी बहुत आघात पहुंचा है। श्री के०एस० पाठक का नाम हरियाणा प्रदेश में चिरस्मरणीय रहेगा। खासतौर से उनका नाम इस लिए चिरस्मरणीय रहेगा कि जिन दिनों में खेतों की सिंचाई के लिए पानी की बात तो दूर उस समय जिन इलाकों में पीने तक का पानी उपलब्ध नही होता था उस समय के मुख्य मंत्री तथा बर्तमान मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम का काम करके, उन इलाकों में पानी पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया। वे बहुत ही कुशल इन्जीनियर और निष्ठावान व्यक्ति थे। उनके चले जाने से सारे हरियाणा प्रदेश को भारी आघात पहुंचा है। मास्टर हरि सिंह जी संयुक्त पंजाब के समय में एम०एल०ए० थे उनके निधन से भी हमें भारी आघात पहुंचा है। हमारे इसी सदन के माननीय सदस्य चौधरी जगबीर सिंह मलिक के पूजनीय पिता श्री फतेह सिंह जी का निधन हो गया है जिससे प्रदेश को गहरा आघात पहुंचा है। चौधरी फतेह सिंह जी का अपने इलाके की जनता में बहुत ही अधिक रसूख था। मुझे जब भी गोहाना जाने का मौका मिला तो लोगों से सुनने को मिला कि चौधरी जगबीर सिंह मलिक की चुनाव में जीत तो उनके पिता जी ने पहले ही पक्की कर दी है। इस प्रकार उनकी यह सीट उनको उनके पूजनीय पिता जी की ही देन है। वे लोगों की समस्याओं के प्रति हमेशा जागरूक रहा करते थे।

इस सदन के माननीय सदस्य चौधरी जगबीर सिंह मलिक के पूजनीय पिता जी के निधन से हमें भारी आघात पहुंचा है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पत्रकारिता के जगत में श्री एस० पी० सिंह का नाम हमेशा चिरस्मरणीय रहेगा। जहां वे एक कुशल पत्रकार थे वहीं उन्होंने देश और समाज की बेहतरी के लिए कार्य किया। देश, समाज और गरीब वर्ग की समस्याओं को उन्होंने उठाया तथा दूरदर्शन पर हिन्दी को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। इसी प्रकार से मई, 1997 में मध्य प्रदेश जबलपुर में आये भूकम्प से मरने वाले लोगों तथा 15 अप्रैल, 1997 को मक्का के नजदीक मीना में हुई दुर्घटना में मरने वाले लोगों तथा पठानकोट और भटिंडा के निकट हुए बमकाण्डों में लोगों के दु:खद निधन पर मैं संवेदना प्रकट करता हूं तथा परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में शरण दें। अब मैं हाउस के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इन दिवंगत आत्माओं के प्रति हाउस में खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण कर इन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें।

(इस समय हाउस के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Draining out the waste water of village Kheri Sampla

*256. **Shri Balwant Singh** : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to drain out the waste water of village Kheri-Sampla (Rohtak) across the market committee road, alongside the Kharkhoda Road ?

Development Minister (Shri Kanwal Singh) : Yes, Sir,

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर सर, आज बहुत ही अच्छी बात हुई है कि सदन में पहले प्रश्न का उत्तर हां में मिला है। मंत्री जी यह बताएं कि इस नाले पर कितना खर्च आएगा और यह कब तक बनकर पूरा हो जाएगा ?

श्री कंवल सिंह : स्पीकर साहब, इस नाले के तीन पार्ट्स हैं। इसमें 300 फुट का टुकड़ा तो बन चुका है जो कि रैस्ट हाउस के साथ है। दूसरा टुकड़ा 1100 फुट का है जिसके बारे में मार्किट कमेटी सोंपला ने दो लाख रुपये का प्रावधान रखा हुआ है लेकिन इस बारे में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से कोई आपत्ति है हमारी तरफ से कोई बात नहीं है। तीसरा यह जो टुकड़ा है इस पर 2 लाख 66 हजार का खर्चा आएगा। इस बारे में पब्लिक हैल्थ ने देखा था और उन्होंने उसमें कोई त्रुटि देखी है उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसको कम्पलीट करने के लिए कोई समय निर्धारित करें।

श्री कंवल सिंह : सर, जो रैस्ट हाउस से जोहड़ तक का टुकड़ा है उस पर दो-तीन महीनें में काम शुरू कर देंगे और उस काम को हम जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री बलवन्त सिंह : इस पर टोटल कितना खर्चा आएगा।

श्री कंवल सिंह : स्पीकर साहब, हम 50 हजार का खर्चा तो कर चुके हैं। 2 लाख का खर्चा दूसरे टुकड़े पर 2 लाख 66 हजार रुपये तीसरे टुकड़े पर खर्चा आएगा। कुल मिलाकर 4 लाख 66 हजार रुपये का और खर्चा होगा ऐसा हमारा एस्टीमेट है।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, जोहड़ से रेलवे लाईन तक नाला बनाने का प्रपोज़ल है तो क्या उसके पानी को आगे खुला ही छोड़ दिया जाएगा या वहां पर कोई टैंक बनाने की योजना है ?

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी कोई योजना नहीं है। ये इस बारे में हमें बता दें तो हम इसको देख लेंगे।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, यह जो नाला इन्होंने बनाया है जिस पर ये बता रहे हैं कि 50 हजार रुपये खर्च किये हैं। यह नाला न बना हुआ होने के लायक है। वहां पर इतनी गन्दगी है कि उस रैस्ट हाउस में जाया नहीं जाता है, बहुत बदबू वहां पर आती है। इस बारे में मंत्री जी वहां जाकर देख लें।

श्री कंवल सिंह : इनकी यह समस्या हम देख लेंगे। वैसे आज जो स्थिति वहां पर है और जो हमारे पास वहां की रिपोर्ट है उसके मुताबिक वहां बहुत बड़ा जोहड़ है और वह सारा पानी ले सकता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आज बहुत सारे गांवों में जो कि स्टेट हाईवे एवं नेशनल हाईवे पर पड़ते हैं, की सड़कों पर बहुत खराब पानी आ जाता है। धारूहेड़ा और नंदरामपुर बास ऐसे ही गांव हैं वहां पर बहुत ज्यादा पानी सड़कों पर चलता रहता है। क्या सरकार ऐसी जगहों पर कोई ड्रेन बनाने का विचार रखती है ?

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, गांवों में पानी की निकासी का जो मामला है वह किसी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि यह समस्या तो व्यापक रूप से सारे स्टेट में ही है। इस काम को करने के लिए दो हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का खर्चा होगा इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम यह काम रिसोर्सिज की उपलब्धता को देखकर ही करेंगे।

Construction of Judicial Complex Building at Ambala Cantt.

***276. Shri Anil Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Judicial Complex building at Ambala Cantt.; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :

(a) Yes Sir, suitable land is to be identified for construction of Judicial Complex building at Ambala Cantt.

(b) After the land is identified/earmarked, further action will be taken regarding construction of Judicial Complex at Ambala Cantt. At this stage, commitment regarding the time by which it is likely to be completed, cannot be given.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने अम्बाला छावनी में जुडिशियल कम्पलैक्स बनाने के लिए हां में उत्तर दिया है उसके लिए मैं उनका अपने विधान सभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। सर, उत्तर में कहा गया है कि इसके लिए सुटेबल लैंड आईडैंटीफाई की जाएगी। सर, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही यह काम कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अम्बाला छावनी में कचहरियाँ लगभग पिछले सौ वर्षों से चल रही हैं लेकिन एंटी रिजर्वेशन मूवमैंट में उनकी क्षति हो गयी थी। उसके बाद उनको अम्बाला छावनी से अम्बाला शहर स्थानांतरित कर दिया गया है जिसके कारण वहां के लोगों के अपने छोटे-छोटे केसिज के लिए अम्बाला शहर जाना पड़ता है। मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब तक वहां पर नया जुडिशियल कम्पलैक्स के लिए लैंड आईडैंटीफाई नहीं की जाती या जब तक वहां नया कम्पलैक्स नहीं बन जाता तब तक क्या सरकार अम्बाला छावनी में ही किसी सरकारी आवास में उस कचहरी को स्थानांतरित करने पर विचार करेगी ?

श्री बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बिल्कुल सही है कि लोगों को वहां पर तकलीफ है। हम इसके लिए जगह आईडैंटीफाई कर रहे हैं लेकिन जब तक यह जगह आईडैंटीफाई न हो तब तक हम दूसरा मकान भी इसके लिए तलाश रहे हैं। यदि माननीय सदस्य भी इसके लिए कोई मकान तलाशने में हमारी सहायता करें तो हम उस मकान को किराए पर लेकर वहां अदालतें चलाने के लिए तैयार हैं। वैसे तीन जगह हमने इसके लिए देखी हैं। ये हैं-बी०डी० हाई स्कूल, रैस्ट हाउस के पास सुपर बाजार की बिल्डिंग और बंगला नं० 23 ए की बिल्डिंग जिसमें यह कोर्ट्स 1989 में मंडल आन्दोलन से पहले काम कर रही थी और उसी समय मंडल कमीशन के मूवमैन्ट में इसको जला दिया गया था। इसी जगह पर ये कोर्ट्स जाने के ज्यादा चांसिज हैं। लेकिन अगर हमें कोई और भी किराए पर मकान मिल जाता है तो हम उस मकान में भी तब तक ये कोर्ट्स चलाने को तैयार हैं। आनरेबल मैम्बर्ज या फकीर चंद जी भी इस काम में हमारी सहायता कर सकते हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि अम्बाला छावनी में जुडिशियल कम्पलैक्स के लिए जगह तो उपलब्ध करवायी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में आदेश देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही हम इसके लिए वहां कोई जगह ढूंढ लेंगे और शीघ्र ही यह कचहरियां अम्बाला छावनी में स्थानांतरित हो जाएंगी।

श्री बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिकारियों को आदेश दूंगा कि वे इसके लिए कोई ऐसी जगह तलाश करें जहां पर यह अदालतें चलायी जा सकें। मैं आनरेबल मैम्बर्ज से भी रिक्वैस्ट करूंगा कि ये इस काम में हमारी सहायता करें।

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस बंगला का इन्होंने अभी जिक्र किया है कि वहां पर पुरानी अदालतें चला करती थीं और अब फिर वहां पर इनको ले जाने का विचार है। लेकिन उस बिल्डिंग पर तो एक अधिकारी यानी सैक्रेटरी, आर०टी०ए० ने कब्जा कर लिया है। सैक्रेट्री, आर०टी०ए० ने उस बिल्डिंग को खरीद लिया और बतौर सैक्रटरी, आर०टी०ए० वह वहां शिफ्ट भी कर गया। इसने उस दफ्तर को बाद में वहां से वैकेट करा दिया। आप चाहें तो इस बात को चैक भी कर सकते हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी कोई बात है कि कोई सैक्रेटरी आइ०टी०ए० अपने आप उस मकान पर कब्जा कर गया तो इसकी हम इंक्वायरी करवा देंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि रिवाड़ी, कैथल, पानीपत और यमुनानगर नये जिले बने थे लेकिन वहां जुडीशियल कम्पलैक्स नहीं बन पाए हैं। क्या उनके बारे में कोई प्रोग्रेस है जुडीशियल कॉम्पलैक्स न होने की वजह से रिवाड़ी के लोगों को नारनौल जाना पड़ता है और कैथल के लोगों को पिहोवा जाना पड़ता है यहां यदि नये जुडीशियल कम्पलैक्स बन जाएं तो लोगों को काफी सुविधा होगी।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी में तो अदालतें काम कर रही हैं और जैसे ही फंड हमारे पास आएंगे नये कम्पलैक्स भी बना देंगे। कैथल में आलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है इसके अलावा जहां जहां की हमारे सामने बात आएगी हम जुडीशियरी को प्रैफरैंस देंगे।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पानीपत के अंदर जुडीशियल कम्पलैक्स बनाने के लिए सरकार ने क्या किसी जमीन का चयन किया है यदि हां, तो वह कितने एकड़ जमीन है और कब तक वहां कम्पलैक्स बना दिया जाएगा ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पानीपत में हम जुडीशियल कम्पलैक्स जल्दी ही बनाना चाहते हैं लेकिन पिछली सरकार के मुख्यमंत्री जी ने एक जमीन पर सैक्रेटेरिएट का फाउंडेशन स्टोन रख दिया जो कि डिफैंस की जमीन है और वह जमीन अभी तक हमको ट्रांसफर नहीं हुई है। तो पहली कोशिश तो हमारी यह है कि वह जमीन हम डिफैंस से लें अगर वह जगह न मिली तो पानीपत से समालखा की तरफ एक जगह है वहां बनाएंगे।

Providing of Drinking Water

***375. Dr. Virender Pal Ahlawat :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in village Bisan, Siwana and Khatiwas; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide drinking water to the above said villages ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) :

(क) जी नहीं।

(ख) उक्त "क" के दृष्टिगत किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनस्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन तीन गांवों के अंदर पीने के पानी की गंभीर समस्या है फिर भी इनका जवाब है कि "जी नहीं" तो क्या मंत्री जी बता पाएंगे कि यहां कितने पानी की कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से आपूर्ति की जा रही है ?

श्री जगननाथ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन गांवों बिसान, सिबाना और खातीवास के बारे में पूछा है और इन गांवों में पानी की ऐक्यूट शॉर्टेज है हमारे उत्तर के अनुसार यह है कि बिसाण गांव के अंदर गोछी गांव से पानी जाता है जो कि 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से है। सिबाना गांव के अंदर ही वाटर वर्क्स है और 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी की आपूर्ति है। जहां तक खातीवास की बात है वहां खेड़ी कुम्हार से पानी जाता है जो कि 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है और ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पानी नहीं है।

श्री राम पाल माजरा : सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में पीने के पानी की समस्या कितने गांवों में है और उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री जगननाथ : सर, ऐसा है कि हरियाणा में अब 19 जिले हैं इन जिलों में से 6 जिलों सिरसा, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, रोहतक और अब झज्जर और फतेहाबाद में ज्यादा पानी देने की कोशिश की जा रही है 40 लीटर के बजाय वहां 70 लीटर पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यहां जमीन में ज्यादा खारा पानी है और पीने के लिए व पशुओं के लिए भी पानी नहीं है। [15.00 बजे] मान्यवर, सारे हरियाणा में 6745 गांव हैं और हमारी सरकार की यह नीति है कि हर गांव में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी पहुंचाया जाये। उनमें कुछ 1087 गांव ऐसे हैं जिनमें 20 और 40 लीटर के बीच प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी पहुंच रहा है। सरकार की नीति यह है कि सन् 1998-99 तक सभी गांवों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पानी पहुंचाया जाये।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी जहां 40 लीटर पानी देने की बात कर रहे हैं परन्तु हमारे गांवों में कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें एक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भी पानी नहीं पहुंच रहा है। भैणी भैरों गांव में पानी का कोई समाधान नहीं है। पीने के लिए पानी तो अवश्य चाहिए चाहे खेतों के लिए पानी आप न दें।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गांवों में स्कीम ऐसी होती है कि दो-दो गांवों में एक ही लाइन से पानी की सप्लाई की जाती है। कभी अगर लाइन टूट जाये तो दिक्कत आ जाती है या कई बार रजबाहों की सफाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता परन्तु अब रजबाहों की सफाई करने के बाद टेल तक पानी पहुंचने लगा है। पिछले सैशन में श्री बलबीर सिंह जी ने भैणी भैरों गांव का जिक्र किया था परन्तु बाद में इन्होंने स्वीकार किया था कि सरकार का जवाब सही है। फिर भी जिस गांव में पानी नहीं पहुंचता है उस गांव को दूसरे गांव की सप्लाई के साथ जोड़कर हम पानी का प्रबन्ध जरूर करेंगे।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार हरियाणा की जनता को दो साल के अन्दर-अन्दर पीने का पानी उपलब्ध करवा देगी। मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरी अपनी कांस्टीच्यूंसी में एक गुमथलागुडू गांव है। उसमें तीन पंचायतें हैं जिनमें दो पंचायतें डेरा फतेह सिंह आज से तीस साल पहले अलहदा हो गई थीं और दूसरी पंचायत डेरा मदनपुर आज से 12-13 साल पहले अलहदा हुई है। इन तीनों पंचायतों में कई-कई हजार की आबादी है। गांव गुमथलागुडू में तो पीने के पानी की प्रौपर सुविधा है लेकिन जो दो पंचायतें अलहदा हुई है उनमें पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ एक गांव को ही मौजा मानकर यह मान लिया जाता है कि

[श्री जसविन्द्र सिंह संधु]

तीनों पंचायतों को पीने के पानी की सुविधा दे दी गई है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन दो अलहदा पंचायतों को भी पीने के पानी की सुविधा देने के बारे विचार कर रहें हैं ?

श्री जगननाथ : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि सारे हरियाणा में 1087 गांव ऐसे हैं जहां 20-40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कम पानी मिलता है। वह सब इस साल में पूरा हो जायेगा। इस प्रकार की दिक्कत तब आती है जब रजवाहा टूट जाये, बिजली की खराबी हो जाये या वाटर वर्क्स की सप्लाई फेल हो जाये। जैसे कि मई-जून के महीने में बिजली न आने से फरीदाबाद गुड़गांव और भिवानी में काफी दिनों तक पानी की दिक्कत रही। हमारी कोशिश यह है कि हर गांव में पानी की समस्या को हल किया जाये।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में कई गांव इस किस्म के हैं जैसे कि मदीनपुर, भलिकपुर, गोपालपुर इत्यादि, जहां पर पब्लिक हैल्थ के ट्यूबवैल्ज़ वगैरह तो लगे हुए हैं। वहां पर सारा काम तो तैयार है लेकिन वह बिल्कुल भी चालू नहीं हुए हैं। इससे लोगों को पानी की बड़ी भारी तकलीफ उठानी पड़ रही है। पानी का स्तर वहां पर इतना गहरा हो चुका है कि नलके वगैरह भी अब काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो ट्यूबवैल्ज़ तैयार हैं कम से कम उनको तो चालू करवा दिया जाए ताकि वहां के लोगों को पाने के पानी की समस्या न होने पाए।

श्री जगननाथ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे नोटिस में अपने हल्के की जो भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, ला देंगे तो हम उनका समाधान कर देंगे।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अभी अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि उन 6 जिलों में फतेहाबाद व झज्जर भी जोड़ दिया गया जहां पर प्रति व्यक्ति पानी की कैपेसिटी 40 लीटर से 70 लीटर करने जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह यह क्या कर रहे हैं ? वह यह क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में दो बातें होती हैं। एक तो जहां पर वाटर वर्क्स बने हुए हैं, उन गांवों की "फिरनी" के अंदर पानी के पाईप लगे होते हैं। पहले तो यह 10-12 ही थे। उसके बाद, 200, 250 व 300 तक भी हो गए। यह पाईप सारे हरियाणा में लगे हुए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे ये पाईप्स बदलकर पानी की कैपेसिटी 70 लीटर करने जा रहे हैं या नए वाटर वर्क्स बनाकर के वे इस कैपेसिटी का पानी देंगे ? अगर ऐसा है तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितने वाटर वर्क्स चालू किए हैं या कितने गांवों में पाईप बदलकर पानी पहुंचाया गया है?

श्री जगननाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं जैसे कि उन्होंने पूछा कि क्या करने जा रहे हैं, क्या कदम उठाने जा रहे हैं। हम लोगों को साफ-सुथरा पानी पिला रहे हैं। (हंसी) आप अगर ऐलनाबाद या रानियां कि बात पूछेंगे कि वहां पर कितनी ईंटें लगा रहे हैं या वहां पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं इत्यादि इतने विस्तार से प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि वे जनता को साफ-सुथरा पानी देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर कितने पानी के लीगल प्वाएंट्स हैं और कितने इल-लीगल प्वाएंट्स हैं। क्या कभी सरकार ने इन प्वाएंट्स को चैक कराया है ? हर गांव में पानी

की पाईप्स तोड़कर अपनी मर्जी से लगा ली जाती है तथा कहीं पर पाईप इस प्रक्रिया में लीक करने लग जाती है जिससे कि गंदा पानी सप्लाई होता है तथा बिमारी वगैरह फैलने का खतरा बना रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी व्यक्ति के इस प्रकार के नाजायज कनैक्शन रखने के संदर्भ में सरकार ने कोई एक्शन लिया है ? दूसरी बात यह है कि जो मंत्री महोदय ने अभी जवाब में बताया है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए सदन में तथ्यों पर आधारित बात ही कहनी चाहिए वरना पाप के भागी बनेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : स्पीकर सर, मेरा प्रश्न तो यह है कि पानी के कितने कनैक्शन ऐसे हैं जो कि नाजायज तौर पर लिए गए हैं?

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि डॉ० बीरेन्द्र पाल जी ने पूछा है कि कितने नाजायज कनैक्शन लिए हुए हैं तथा कोई कार्यवाई नहीं हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में यह कोशिश की जाएगी कि हर मौहल्ले व गांव के अंदर पानी खराब व बर्बाद न होने पाए। इसके अतिरिक्त घरों के अंदर भी पानी के कनैक्शन देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ यह भी कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में, जो लोग नाजायज तौर पर डायरैक्ट कनैक्शन ले लेते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आई०पी०सी० के तहत कार्यवाही की जा सकती है लेकिन अभी तक लोगों को इस मामले में थोड़ी ढील दी गई है क्योंकि लोगों को हम पीने के लिए शुद्ध पानी दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने जिन तीन गांवों के बारे में पूछा है उनके बारे में मैंने जवाब दे दिया है। बीसान गांव में 30 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है और सीवाना और खातीवास में 40 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। इन्होंने जायज और नाजायज टूटियों के बारे में जो पूछा है उसके बारे में मैं इस समय औफ हैंड कुछ नहीं बता सकता।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाएं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक स्कीम चलाई थी कि जो 10 हजार की आबादी के बड़े गांव हैं उनको पीने के पानी के घरों में कनैक्शन दिए जाएंगे। क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई स्कीम है जिसके तहत 10 हजार तक की आबादी के गांवों में पीने के पानी के घरों में कनैक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मौजूदा सरकार ने पीने के पानी का कनैक्शन देने का काम शुरू करके सारे हरियाणा प्रदेश के सभी छोटे और बड़े गांवों के घर घर में पीने का पानी का कनैक्शन देने की कोई योजना बनाई है, अगर बनाई है तो वह योजना कितने समय तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, जिन 8 जिलों के गांवों में 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन सप्लाई किया जा रहा है उन गांवों में घर घर में पीने का पानी का कनैक्शन देंगे और जो छोटी-छोटी ढाणियां हैं उनके बारे में भी सोचा जा सकता है लेकिन इस बारे में टाईम बांउड यह नहीं कहा जा सकता कि यह काम इतने समय में कर दिया जाएगा। हमारे पास ज्यों ज्यों पैसे का प्रावधान होता जाएगा हम यह काम करते जाएंगे।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने कहा कि बड़े-बड़े गांवों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी सप्लाई किया जाएगा उसके बाद घर घर में पीने के पानी का कनैक्शन दिया जाएगा। लेकिन इस समय पीने के पानी की सप्लाई के लिए जो पाइपें बिछाई हुई हैं उनकी 70 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति पानी की कैपेसिटी नहीं है तो फिर ये इतना पानी कैसे सप्लाई कर पाएंगे।

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, जहां जहां पर 70 लीटर पानी उपलब्ध हो जाएगा वहां पर हम पाइपों को भी उसी हिसाब से बदल देंगे।

श्री रामफल कुण्डु : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जींद जिले में ऐसे कितने गांव है जिनमें 70 लीटर पानी प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है।

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, इसके लिए अलग से नोटिस दे दें इनको बता देंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन तीन गांवों के बारे में सवाल पूछा था उनके बारे में मंत्री जी से ने बड़ा साफ सुथरा जवाब दे दिया कि हम हरियाणा प्रदेश के लोगों को बड़ा साफ सुथरा पानी पिला रहे हैं लेकिन इनको इस बात की तकलीफ हो रही है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, अगर हरियाणा प्रदेश में पीने का पानी सबसे ज्यादा कम सप्लाई हो रहा है तो वह सोनीपत में हो रहा है। सोनीपत में पांच लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन भी पानी नहीं मिल रहा है। आज से दसियों साल पहले सोनीपत में कैनाल बेस्ड पीने के पानी की स्कीम बनी थी लेकिन वह स्कीम ठण्डे बस्ते में ही पड़ी है। मुख्य मंत्री जी 6 तारीख को पौने पांच करोड़ की उस स्कीम के बारे में अनाउंसमैंट करके आए थे कि उसका काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। मंत्री जी बताएं कि उस स्कीम का काम कब तक शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री जगन नाथ : सर, ऐसी बात नहीं है कि वहां पर 5 लीटर भी पानी एक व्यक्ति को न मिल रहा हो । सोनीपत जिले को हमेशा पानी मिलता रहा है । जहां तक सी एम साहब की घोषणा का संबंध है उस पर जल्दी से जल्दी अमल होगा ।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने सवाल के जबाब में बताया है कि हम गांवों में 40 लीटर से लेकर 70 लीटर तक प्रति दिन प्रति व्यक्ति पानी दे रहे हैं, या जहां पर यह सुविधा नहीं है वहां पर भी इतना ही पानी उपलब्ध करवाया जायेगा । जो बडे बडे गांव है उनकी आबादी किसी की 1 हजार घरों की है किसी की 2 हजार घरों की हैं । उन सभी को पानी नहीं मिल पाता जैसे मेरे हल्के में करीता, पाकसमा या दूसरे जो बड़े गांव हैं उनकी दो हजार घरों से अधिक की आबादी है। वहां पर उन लोगों को 40 से 70 लीटर तक पानी नहीं मिल रहा।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री जगन नाथ : हमारी कोशिश तो हर जगह तक पानी पहुंचाने की है। अब कुछ लोगों ने बीच में नलके लगा लिए हैं जिससे पूरा पानी आगे तक नहीं जा पाता यानि जहां हमने 5 नलके लगाये हुए थे वहां पर लोगों ने एनअथोराईज्ड ढंग से 15-20 और लगा लिए हैं जिस कारण यह दिक्कत आई है। अगर कहीं दिक्कत है तो ये बताएं वहां पर हम अलग से लाईन लगा कर वहां तक पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

Sale of Illicit Liquor

***387. Shri Bhagi Ram :** Will the Minister for Prohibition and Excise be pleased to state the district-wise number of cases registered against the persons indulging in selling illicit liquor in the State during the period from 1-11-1996 to-date ?

Food and Supplies Minister (Shri Ganeshi Lal) : A statement is laid on the table of the House.

Statement

The district wise number of cases registered against the persons indulging in selling illicit liquor in the State during the period from 1-11-1996 to-date (14-7-1997) is as under :-

Sr. No.	Name of the district	No. of cases registered
1.	Ambala	646
2.	Panchkula	113
3.	Yamuna Nagar	1603
4.	Kurukshetra	755
5.	Kaithal	1370
6.	Rohtak	832
7.	Karnal	680
8.	Panipat	1027
9.	Sonipat	557
10.	Gurgaon	866
11.	Faridabad	1729
12.	Rewari	219
13.	Narnaul	427
14.	Hisar	853
15.	Sirsa	1792
16.	Jind	1221
17.	Bhiwani	1109
	Grand total	**15799**

अध्यक्ष महोदय, इस लिखित जवाब के अलावा मैं थोड़ी सी जानकारी और सदन को देना चाहूंगा। अब तक एक्साईज एक्ट के तहत कुल 59 हजार केसिज दर्ज हुए हैं और इनमें 63775 व्यक्ति शामिल हैं। यह सूचना भी इसके साथ मानी जाये।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने लिखित जवाब में बताया कि 15799 केस दर्ज हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इन केसों में सिरसा जिला जो इनका है और भिवानी जिला में कितने ऐसे केसों की संख्या है जो पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद दर्ज हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : यह इरैलेवेंट क्वैश्चन हैं। आप बैठिये।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहूंगा। कुरूक्षेत्र जिले के अन्दर लाड़वा थाने के अन्दर एक केस दर्ज हुआ था। एच०वी०पी० के एक नेता के रिश्तेदारों के बारे में इस केस के बारे में अखबार में छपा था कि वह केस वापिस लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वह केस किस बिनाह पर वापिस हुआ है ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : कोई केस वापिस नहीं हुआ है (विघ्न) अखबारों में तो काफी कुछ छपता रहता है। हरियाणा गवर्नमैंट के सामने केस वापस लेने के लिए न तो कोई दरख्वास्त आई है और न ही कोई फाईल सरकार के सामने आई है कि कोई केस वापिस ले लिया जाए।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिले के एक गांव बालासर में इस कैबिनेट का एक वज़ीर गया था। वहां पर दारू पी कर के उनके बॉडीगार्ड्ज़ और दूसरे पुलिस कर्मियों का झगड़ा हुआ था। यह बात अखबार में भी छपी थी कि राम स्वरूप रामा के बॉडीगार्ड और उनके रिश्तेदार का उनकी हाज़री में चालान हुआ था। मुझे इस बारे में पूरा पता नहीं है लेकिन ऐसी चर्चा है कि उस समय श्री राम सरूप रामा जी भी दारू के नशे में थे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि उनके बॉडीगार्ड का तो चालान किया गया लेकिन उनको क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित साथी को बताना चाहता हूं कि चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो हर जगह कानून और संविधान का राज्य है। मुझे मालूम नहीं कि किसी व्यक्ति का नाम ले कर चाहे वह मंत्री हो या चेयरमैन हो, उसके बॉडीगार्ड का झगड़ा हुआ इससे पता नहीं सम्मानित सदस्य इस सदन में और हरियाणा की जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं। हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस की वर्दी बोझ नहीं है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस में यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा में शराब के मामले में पूरी ट्रांसपेरैंसी है और इसे रोकने के लिए सिंसियर एफ़र्टस की जा रही हैं। कानून की नज़र में सब बराबर हैं चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कोई केवल इसी आधार पर कहे कि मैंने सुना है या ऐसी चर्चा है, मैं समझता हूं कि कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री खुर्शीद अहमद : अध्यक्ष महोदय, शराब बन्दी के मामले में मन्त्री महोदय ने बताया है कि 1792 केसिज़ सिरसा जिले में हुए हैं इस प्रकार से इस मामले में यह जिला चैम्पियन आता है। क्या कारण है कि सिरसा में गैर कानूनी शराब के बेचने पर ज्यादा से ज्यादा केसिज़ रजिस्टर्ड हुए हैं ?

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां वैल्थ एक्युमुलेट होता है, मैन डिके होता है। जब एक हज़ार के नोट बन्द हुए थे तो उस समय सिरसा बम्बई के बाद दूसरे नम्बर पर आया था। हमारा सिरसा जिला का बार्डर पंजाब और राजस्थान से करीब 600 किलोमीटर लगता है। इस एफल्युऐंसी के कारण यहां पर ज्यादा शराब भी लाई जाती है और

आंकड़ों से भी साफ ज़ाहिर होता है कि उतने ही ज्यादा केसिज़ वहां पर रजिस्टर्ड हुए हैं और ज्यादा लोग वहां पर पकड़े भी गए हैं। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य को स्मरण करवाने में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा कि इस सरकार से पिछली सरकारों के समय में ये लोग मंत्री भी रहे हैं उनको पता होगा कि जब इनकी गाड़ी हूटिंग करते हुए चलती थी तो मुर्गा भी नाड़ नीची करके कुक्कड़ कूं करता था और शटर शराब का खुलता था। अभी इस सरकार में मुर्गा भी कुक्कड़ कूं गर्दन ऊपर करके बोलता है। जब हरियाणा में शराब बन्द हुई थी तो उससे पहले हरियाणा में कोई भी पार्टी बगैर कॉकटेल के खत्म नहीं होती थी लेकिन आज हरियाणा में न "कोक" है और न "टेल" है।

खेल राज्य मंत्री (श्री राम सरूप रामा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी आप बैठ जाएं।

Please all of you take your seats. (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा सबमिशन है कि भागी राम जी ने सदन में झूठी और निराधार बात कही है। It is a personal allegation. Please listen to Sh. Ram Saoop Rama also . (Noise & interruptions) अब राम सरूप रामा जी को भी अपनी बात कहने का मौका दें। (शोर एवं व्यवधान)

That was not relevant portion of his question. There was no supplementary.

श्री राम सरूप रामा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भागी राम जी को यह बताना चाहूंगा ..... (शोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो भागी राम जी ने कहा है आप उसको एक्सपंज करवाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। भागी राम जी ने सीधा मंत्री जी का नाम लिया है इसलिए उनको भी उस बात का जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) प्रश्न काल के बाद मंत्री जी बोल लेंगे।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भागी राम जी ने सीधे मंत्री जी का नाम लिया है that was not relevant portion of his question. (Noise & Interruptions). इसको एक्सपंज किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 17 जिलों के अन्दर 15,799 केस दर्ज करवाए हैं। ये जो केस हैं इनमें से आज तक पुलिस थाने वालों ने कितने केसों में कोर्ट में चालान पेश किए हैं और उनमें से कितनों को सजा हुई है।

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, 59 हजार 52 केसिज़ रजिस्टर्ड हुए थे जिनमें से 27 हजार 535 चालान कोर्ट में पेश हुए और 1701 केसिज़ में कनविक्शन हुई है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कनविक्शन दो तरह की होती है। एक तो शराब का इन्डस्ट्रीयल डिस्ट्रीब्यूशन या बड़ी मात्रा में स्मगलिंग वगैरह है जैसे कि हम अखबारों में पढ़ते हैं कि ट्रक के ट्रक शराब के पकड़े गए। इसके साथ ही दूसरी तरह के वह केस हैं कि कोई आदमी शराब पीकर घूमता हुआ पाया गया। ऐसे केस भी बने हुए हैं (विघ्न) मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि शराब की स्मगलिंग के और शराब की भट्ठी चलाने के कितने केसिज ऐसे हैं जिनमें कनविक्शन हुई है। जैसा इन्होंने कहा है कि 27 हजार केसिज में से 1701 केसिज में कनविक्शन हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कनविक्शन हुए 1701 केसिज में से बड़े मुर्गे कितने फंसे हुए हैं और कितनों को सजा हुई है ?

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसमें लगभग 23751 केसिज ऐसे हैं जो बेलेबल हैं और जिनके पास दो बोतल से कम शराब मिली है। इसके अलावा लगभग 35301 केसिज ऐसे हैं जिनके पास से दो बोतल से ज्यादा शराब पकड़ी गयी है। इसके साथ साथ 23751 केसिज मैंने बेलेबल ऑफैंसिज के बताए हैं। इसमें लगभग 25865 लोग शामिल हैं और जो नॉन बेलेबल ऑफैंसिज के केसिज हैं वह लगभग 37908 हैं। हमने 59052 केस रजिस्टर्ड किए हैं जिसमें कि 63071 लोग शामिल हैं तो अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से करें तो लगभग 1.202 के करीब एक केस के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ एक आदमी आता है। इसलिए इनका यह कहना कि कोई माफिया ग्रुप होगा या कोई और बहुत बड़े लोग इसको आपरेट करने वाले होंगे, ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यदि कुछ केसिज में एक एक करके भी अगर चार हजार लोगों को अलग से छोड़ दूं तो कुछ केसिज ऐसे हैं जो ट्रक के माध्यम से शराब की इल्लिसिट स्मगलिंग करते हैं। जहां तक इन्होंने बर्किंग स्टील्स की बात पूछी है कि कितनी भट्ठियां इस तरह की पकड़ी गयी हैं। मैं इनको इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमने इस तरह की लगभग 10866 भट्ठियां पकड़ी हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन 1701 आदमियों का कनविक्शन हुआ है उनमें से भट्ठियां चलाने वाले और बड़ी स्मगलिंग करने वाले कितने आदमियों को अभी तक सजा हुई है, यह मंत्री जी हमें बता दें ?

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें लगभग जो बेलेबल आफैंसिज के केसिज हैं जिनमें सजा हुई है, वह लगभग 1566 हैं और बड़े केसिज में जिनको सजा हुई है, उनकी संख्या 1035 है।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे माननीय साथी श्री अशोक जी की सप्लीमैंट्री के जवाब में बताया कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा आज तक हमने वापस नहीं लिया। सर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लाडवा थाने में जो श्री शेर सिंह के नाम एक मुकदमा दर्ज हुआ था क्या वह वापस हुआ या नहीं ? श्री शेर सिंह जी मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन श्री वेदपाल जी के साले हैं। मंत्री जी ने आंकड़े देकर जिला कुरुक्षेत्र के बारे में बताया है। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस केस के दर्ज होने से पहले श्री रणधीर शर्मा वहां पर एस०एस०पी० थे लेकिन इसके बाद उनको वहां से बदल दिया गया।

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र सिंह जी, आप स्टेटमैंट न दें बल्कि क्वैश्चन पूछें।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनके नोटिस में एक चीज लाना चाहता हूं कि प्रदेश में आज जो अधिकारी ईमानदारी से शराबबंदी लागू करना चाहता है और यदि वह सत्ता पक्ष से जुड़े हुए किसी प्रभावी आदमी पर अपना हाथ डालता है तो वहां से उसका तबादला कर दिया जाता है। सरकार बताए कि श्री शेर सिंह जी का केस वापस लिया गया है या नहीं ?

श्री बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात बिल्कुल निराधार है। हमने किसी एस०एस०पी० का तबादला नहीं किया बल्कि हकीकत तो यह है कि उसको उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पद पर लगाया गया है। हमने कोई मुकदमा वापस नहीं लिया। न कोई ऐसी दरख्वास्त की है और न ही ऐसा कोई डिसीजन है। ये अपने आप ही इस तरह की बातें घड़ लेते हैं।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, जसविन्द्र सिंह जी ने शेर सिंह के जिस केस के बारे में जिक्र किया है तो उसी बारे में मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इसकी कोई इंक्वायरी दोबारा से शुरू की गयी है या नहीं कि यह केस गलत दर्ज हुआ था या ठीक दर्ज हुआ था ?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : इस मामले के अंदर आप एक इशू ऐसा खड़ा करके किसी एक आदमी के नाम को पोलिटिकली इन्वौल्वड करके गलत तरीके से प्रचार करने का साधन बना रहे हैं। (शोर एवं विघ्न) जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया कोई केस शराब के मामले में वापस नहीं हुआ। एक शेर सिंह का नहीं बल्कि सारे हरियाणा के अंदर शराब के मामले में छोटा या बड़ा कोई केस वापस नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि शराब के पकड़ने की शिकायत पर कोई सिपाही तक भी तबदील नहीं हुआ और आप कहते हो कि एस०पी०तबदील हुआ है। शराबबंदी स्टेट के फायदे के लिए की गई है आप इसको इशू न बनाएं।

Construction of Power House at Village Singhana

***420. Shri Ram Phal Kundu :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the Power House of Village Singhna, district Jind is likely to be commissioned ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Construction of 33KV Sub-station Singhana in district Jind is likely to be completed during the year 1997-98.

श्री राम फल कुण्डु : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने दो महीने पहले जींद में आश्वासन दिया था कि एक महीने के अंदर-अंदर यह सब-स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा लेकिन आज तक वहां एक भी आदमी काम पर नहीं लगा है। विगत् 8-10 साल से वहां पर बिल्डिंग बनी पड़ी है और एक साल में वहां कोई पोल तक नहीं लगा और अगर कहीं पोल लगे थे तो उन पर तार नहीं खेंचा गया तो किस तरीके से यह 1997-98 में पूरा हो जाएगा ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, सिंघाना के बारे में मैंने कोई वायदा नहीं किया जहां तक इसके काम पूरे होने का सवाल है 31 मार्च से पहले पहले यह काम पूरा हो जाएगा। पंचायत से जमीन ली है और इस वक्त सिविल वर्क जितने होने हैं, वे कम्पलीट हो चुके हैं। इलैक्ट्रिक वर्कस 30 परसैंट कम्पलीट हो चुके हैं। 33 के०वी०लिंक लाइन 70 परसैंट कम्पलीट हो चुकी है और कार्य प्रोग्रेस पर है।

Repair of Bridges

***355. Shri Nafe Singh Rathee :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the damaged bridges of Asoda Todran and Asoda Siwan (District Rohtak) on Western Jua are likely to be repaired/re-constructed ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Temporary bridges at RD 33,000 and RD 32,700 of West Jua Drain were constructed by the villagers of Asoda Todran and Asoda Siwan at their own cost and convenience. These are presently in damaged condition. Uptil now, the department has no programme to reconstruct these bridges.

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, यह लोगों की एक बड़ी भारी समस्या है क्योंकि लोगों के आने-जाने का रास्ता नहीं है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा में ग्रामीणों द्वारा बनाए गए किसी पुल का सरकार ने पुनर्निर्माण किया है, अगर किया है तो बहादुरगढ़ क्षेत्र के इस पुल का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा ? इसके अलावा गांव लाहौरीहेड़ी और दसोधहेड़ी नहर का पुल टूटा पड़ा है जो कि लगभग दो साल से टूटा पड़ा है और कई ऐक्सीडैंटस भी हो चुके हैं तो उसका निर्माण सरकार कब तक करा देगी ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तक पुलों के निर्माण की बात कही है उसका नोटिस अलग से दें। लेकिन जहां तक ग्रामीणों द्वारा बनाए गए पुलों की मरम्मत का सवाल है यह पुल 20 साल पहले गांव वालों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए थे। एक पुल से दूसरे पुल के बीच में एक किलोमीटर का फासला रखना जरूरी होता है लेकिन इनमें वह फासला भी नहीं रखा गया। वे बिल्कुल नाजायज पुल हैं ऐसा ही एक पुल पिछले साल बोहरस्थल के पास तोड़ भी दिया गया था। यह पुल तो ग्रामीणों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं अगर उनको कोई दिक्कत है तो वे अपने आप ही इनकी मुरम्मत करें।

Construction of P.W.D. Rest House, Beri

***376. Dr. Virender Pal Ahlawat** : Will the Minister for P.W.D. (B&R be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a P.W.D. Rest House at Beri ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) : नहीं, श्रीमान जी।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, झज्जर जिला अभी-अभी बना है जिसके अन्दर बेरी एक तहसील है। आज तक किसी भी महकमें ने बेरी तहसील के अन्दर विश्राम गृह बनाने का प्रयास नहीं किया है फिर भी क्या मंत्री जी द्वारा तहसील बेरी में विश्राम गृह बनाने की प्रोपोजल न लाना वहां के लोगों के साथ बेइंसाफी नहीं है (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नये जिले बनने का धन्यवाद तो कर दो।

डॉ० वीरेन्द्रपाल अहलावत : सारे झज्जर जिले के लोग इस बात से खिन्न हैं वे झज्जर को जिला बनाना ही नहीं चाहते थे किसी ने यह लिखकर नहीं दिया कि झज्जर को जिला बनाया जाये।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : पिछले एक साल का अखबार पढ़कर देखो फिर पता चलेगा कि जिला बनाने की मांग की गई है या नहीं।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : हमें तो गांवों में लोग घुसने ही नहीं देते। वे कहते हैं कि यह क्या कर दिया जिला क्यों बना दिया। यह सब राजनीतिक कारणों से हुआ है।

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, जिले का उद्घाटन करने तो आप खुद गये थे आप ने देखा कि झज्जर के लोगों ने कितने उत्साहपूर्वक वहां स्वागत किया और खुद वीरेन्द्र पाल जी कहते थे और धन्यवाद देते थे कि चलो बेरी को भी इससे महत्व मिलेगा आज ये जो भी कहें।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : बेरी का तो पहले से ही महत्व है यह किसी का दिया हुआ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह क्वैश्चन आवर है (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम झज्जर के लोगों को बता देंगे कि वीरेन्द्र पाल अहलावत जी ने हाउस के अन्दर यह सलाह दी है कि यह जिला गलत बना है इस बारे किसी ने मांग की ही नहीं। (Interruptions)

Mr. Speaker : This matter is not to be discussed at this stage.

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : इस बात का आप सर्वे कराकर देख लें।

श्री धर्मबीर सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के अनुसार आज तक कभी कोई ऐसा मौका नहीं हुआ कि श्री वीरेन्द्र सिंह कभी बेरी में रुके हों। इनके आसपास लगते झज्जर और छुछकवास में जोकि बेरी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अच्छे विश्राम गृह बने हुये हैं अगर कभी ऐसा मौका आये तो ये वहां पर विश्राम कर सकते हैं आज ये किस तथ्य के अनुसार बेरी में रैस्ट हाउस बनाने की बात कर रहे हैं।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : ताकि बेरी में आपको ठहरने की सुविधा मिल जाये इसलिए मैं बेरी में रैस्ट हाउस बनाने की बात कर रहा हूं।

श्री धर्मबीर सिंह यादव : बेरी से 12 किलोमीटर दूरी पर झज्जर में अच्छा रैस्ट हाउस है वहां जाकर भी तो ठहर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्वैश्चन आवर इज ओवर।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज़ पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Water Supply Scheme

*433. **Shri Ramphal Kundu :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a separate water supply for Pillukhera Mandi; if so, the time by which the proposal is likely to be materialised ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : पिल्लुखेड़ा में नई निर्माणाधीन मंडी के ले आऊट प्लान में जल आपूर्ति के प्रावधान की व्यवस्था है। लेकिन इस बारे में भू-जल पीने योग्य न होने के कारण विस्तृत विवरण अभी तैयार किया जाना शेष है। फिलहाल नहरी पानी पर आधारित पिल्लुखेड़ा शहर जल आपूर्ति योजना से दो कनैक्शन लिए हुए हैं।

[Shri Bansi Lal]

of the Board. Subsequently from November 25, 1993, the Board introducted the concept of one-time service connection charges for industrial and bulk supply consumers. This order was applicable in respect of only new consumers and where extension of load was sought for . These charges were revised on 14-11-1996 as follows :-

Sr. No.	Category of consumer	Pre-revised rates	Revised rates	Remarks
1.	H.T. industrial consumers	Rs. 500/- per KVA of the contract demand	Rs. 750/- per KVA of the contract demand	Applicable upto 300 metres Additional cost @ Rs. 100per metre chargeable against Rs. 70/- applicable earlier for length beyond 300 metres. In case the supply is on voltage higher than 11 KV, the service connection charges shall be highest of the following :- (a) Actual cost (b) Rs. 750/- per KVA (c) Rs. 4.5. lacs (minimum)
2.	For loads upto 70KW (both for bulk and L.T. Industrial Supply)	Rs. 350/- per KW	Rs. 500/- per KW	Applicable upto 300 metres Additional cost @ Rs. 70/-per metre chargeable against Rs. 50/- applicable earlier for length beyond 300 metres.

There are no fixed service connection charges for agriculture and domestic categories. However, the domestic consumers are governed by the old policy and monthly service line charges are being charged wherever applicable.

Meter Charges

The following charges are payable by the consumers :

(i) Meter Service Charges

In case, the meter is provided by the Board, the consumers are charged monthly meter service charges (rentals). However, no revision was made in respect of these charges during the year for any category of consumers.

(ii) Meter Security

As a security deposit by the consumer towards the meter installed by the Board, the meter security charges are levied. These were revised w.e.f. 25-10-1996 to meet the increased cost of metres. The revised rates are as follows :—

Sr. No.	Meter type/rating	Revised Security Rates
1.	Single phase	Rs. 600/-
2.	Three phase	Rs. 1000/-
3.	L.T. Three phase CT operated meter with C.Ts.	Rs. 7500/-
4.	H.T. meter without Trivector meter with C.Ts/P.T.	Rs. 25000/-
5.	L.T. Conventional Trivector meter with C.Ts.	Rs. 25000/-
6.	H.T. Conventional Trivector meter with C.Ts./P.T.	Rs. 35000/-
7.	H.T. Electronic Trivector meter with C.Ts./P.T.	Rs. 40000/-

The Board is paying an annual interest of 10% on the meter security deposits exceeding Rs. 100/-.

सचिव द्वारा घोषणा

Mr. Speaker : Now the Secretary will make some announcenment.

Secretary : I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Session held in March, 1997 and have since been assented to by the Governor:—

1. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1997
2. The Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1997
3. The Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1997
4. The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1997
5. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill,1997
6. The Haryana Municipal (Amendment) Bill,1997
7. The Haryana Appropriation (No. 1) Bill,1997
8. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill,1997
9. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1997.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

खेल राज्य मन्त्री द्वारा

खेल राज्य मन्त्री (श्री राम सरूप रामा) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री भागी राम जी ने जो मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है कि मेरे गनमैन का चालान हुआ है क्योंकि मेरा गनमैन दारू के नशे में धुत्त था तथा रामा भी शराब के नशे में धुत्त था। लेकिन मैं इस आरोप का खण्डन करते हुए माननीय सदस्य व सदन को बताना चाहता हूं कि यह जो बालेसर की बात कह रहे हैं कि मेरे साथ गनमैन था, उसने दारू पी रखी थी। उस गनमैन ने अगर जन्म से भी दारू पी हो तो मैं अभी त्याग पत्र दे दूंगा। (थम्पिंग) अगर यह बात कहीं थाने या जनता के बीच में साबित हो जाये तो या तो मैं अस्तीफा दे दूंगा या चौधरी भागी राम जी अस्तीफा दे दें। (विघ्न) दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि राम सरूप रामा भी शराब के नशे में धुत्त था। मैं कहता हूं कि जब मेरा गनमैन पकड़ा गया तो सरकार की जो कानूनी कार्रवाई की पालना जिस थानेदार ने नहीं की, उसको जेल में भेज देना चाहिए। (विघ्न) इसके अतिरिक्त यह भी पता लगाया जाए कि क्या वह समता पार्टी का कट्टर समर्थक था या कोई और व्यक्ति था, क्योंकि उस समय बिल्लू जी भी थे और वह पार्टी टिकट का दावेदार मेरी कश्यप बिरादरी के नाते बहां गया था। लेकिन मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। (शोर) लेकिन मैं फिर यह बात जोर देकर कहता हूं कि अगर मेरे गनमैन ने दारू पी रखी थी, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि या तो मैं अस्तीफा दे दूंगा या माननीय सदस्य अस्तीफा दे दें। अगर जन्म से भी उसके द्वारा दारू पीने की बात साबित हो जाए। (थम्पिंग)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, इन भाइयों को यह 'दारूबंदी' हज्म नहीं हो रही है। पिछली बार चौधरी भजन लाल जी ने भी इस अगस्त हाऊस में एक सटेटमैंट दी थी कि भिवानी जिले में शराब पीने से 12 आदमी मर गए। एक घंटे के तुरंत बाद हमने उनसे मृतकों के नाम व गांव का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि वह पर्ची जिस पर उन्होंने नाम लिखे हुए थे, उनके दिल्ली वाले कुर्ते की जेब में रह गई है। उसके बाद, स्पीकर सर, दो दिन के लिए सदन की छुट्टी थी। उस समय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी भी तथा अन्य माननीय सदस्य भी इस बात के चश्मदीद गवाह थे। चौधरी भजन लाल जी से हमने फिर पूछा कि आप तो मुख्य मंत्री रहे हैं तथा हम आपकी बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं तो उन्होंने कहा कि वह सूचना तो ऐसे ही मिली थी और उन्होंने माफी मांगकर अपनी जान छुड़ाई। आज भी उसी प्रकार से चौधरी भागी राम जी ने बड़ी आसानी से आरोप लगाया है। श्री रामसरूप रामा जी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर उस गनमैन ने जन्म से भी शराब पी हो तो वे अस्तीफा दे देंगे। तो क्यों नहीं ये उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं?

स्थगन प्रस्ताव की सूचना/बैठक का स्थगन

श्री खुर्शीद अहमद : स्पीकर सर, इस सदन में हमारे साथियों ने एक एडजर्नमैंट मोशन दी है तथा यह मोशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के बारे में हमारी तरफ से मूव हुई है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के संविधान को वाएलेट किया है। इस हाउस के सैशन में होते हुए दो आर्डीनैंस जारी किए गए। यह बहुत सीरीयस मैटर है। इससे डैमोक्रेसी की तमाम परम्पराओं पर इफैक्ट होता है और सभी लोगों पर इसका असर पड़ता है। यह इस हाउस के मैम्बरान के हकों पर एक छापा है। यह इस हाउस का कंटम्पट है इसलिए हाउस का बाकी बिजनैस रोक करके हमने जो एडजर्नमैंट मोशन दिया है उस पर बहस की जाए।

Mr. Speaker : An adjournment motion from your side was received in the office at 1.10 P.M. and the same has been rejected as the ordinances have been withdrawn. (Noise & Interruptions.)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, यह बहुत ही सीरीयस मामला है। आप हमारी बात तो सुनें।

Shri Khurshid Ahmed : Mr Speaker, Sir.....(Noise & Interruptions)

Mr. Speaker : Ch. Khurshid Ahmed Ji, you please take your seat. (Noise & Interruptions). Nothing to be recorded. (Noise & Interruptions).

श्री राम पाल माजरा : * * * * * * * * * * * *

(At this stage, the members of the Samata Party present in the House came to the well of the House and started shouting slogans. They also staged a dharna there.

Mr. Speaker : Please take your seats. (Noise & Interruptions)...

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हाउस को नियमानुसार आराम से चलने दें। माननीय सदस्य माजरा साहब ने इस सैशन के बारे में एक बात कही मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस तरह का सैशन यह पहली बार नहीं बुलाया है इस तरह का यह सातवीं बार सैशन बुलाया गया है। यह रिकार्ड की बात है। सबसे पहली बार इस तरह का सैशन 1967 में बुलाया गया था उस समय राव बीरेन्द्र सिंह मुख्य मंत्री हुआ करते थे। इसी तरह का सैशन 1978 में बुलाया गया था उस समय चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे। यह रिकार्ड की बात है। (शोर)

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि हाउस को प्रोरोग किए बगैर ही दो आर्डीनैंस जारी कर दिए गए और सरकार ने गवर्नर महोदय को अंधेरे में रखा । यह मुख्य मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन बनता है इसलिए मुख्य मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए। (शोर)

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय ***(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुछ भी रिकार्ड न किया जाए।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, *** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हाउस 15 मिनट के लिए एडजर्न किया जाता है।

(The Sabha then adjorned and re-assembled at 4.12 p.m.)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Now, I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

The Committee met at 10.00 A.M. on Monday, the 21st July, 1997 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in session, shall meet on Monday at 2.00 P.M.

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[Mr. Speaker]

and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

The Committee also recommends that on Wednesday, the 23rd July, 1997, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business from the 21st July, 1997 to 23rd July, 1997 be transacted by the Sabha as under:-

Monday, the 21st July, 1997 (2.00 P.M.)	1. Obituary references. 2. Questions Hour. 3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 4. Papers to be laid on the Table of the House. 5. Presentation of Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1992-93. 6. Legislative Business.
Tuesday, the 22nd July, 1997 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour 2. Discussion and Voting on the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1992-93. 3. Official Resolution. 4. Legislative Business, if any.
Wednesday, the 23rd July, 1997 (9.30A.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine-die. 4. The Haryana Appropriation Bill in respect of Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1992-93. 5. Legislative Business. 6. Any other Business."

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Shri Khurshid Ahmed : Sir, I want to speak on this motion.

Mr. Speaker : Yes, you may speak.

श्री खुर्शीद अहमद (नूंह) : सर, हाउस इन हालात में जैसे कन्वीन हुआ है, बीच में जो अन-कांस्टीच्यूशनल चीजें हरियाणा में हुई हैं और संविधान को बायलेट करने के बाद दोबारा से इस हाउस को बुलाना ही इल्लीगल है। यह इल्लीगलीटी है जो कि रैक्टीफाई नहीं हो सकती है। आज हमारे पास आपका यह नोट आया है कि हमने यह आर्डीनेंसिज विदड्रा कर लिए हैं। जिस दिन यह आर्डीनेंसिज जारी हुए उस दिन से ही यह सरकार कांस्टीच्यूशन की वाइलेशन में चलती रही है। इस सरकार ने आज तक जो काम किया है वह टोटली इल्लीगल काम किया है। जो कुछ भी आर्डीनेंसिज के तहत स्टैप लिए गए हैं वे सारे स्टैप ही इल्लीगल हैं। एक सरकार जो कांस्टीच्यूशन को बायलेट करे, कांस्टीच्यूशन की धज्जियां उड़ाए उस सरकार का दूसरा सैशन बुलाने का हक नहीं रह जाता है जब तक उस मामले का कोई फैसला नहीं हो जाए। आज उसको रैक्टीफाई करने के लिए हमने 10,20 या 30 दिन बाद उन आर्डीनेंसिज को विदड्रा कर लिया है। यह सरकार दो महीने तक जो इल्लीगलीटी करती रही है, उस सरकार का क्या हश्र होगा। क्या यह सरकार कांस्टीच्यूशन के मुताबिक नहीं है, अगर है तो इस सरकार को यह सैशन बुलाने का कोई हक नहीं है। इस इल्लीगलीटी को करने का और इस हाउस को इग्नौर करके गल्ती को कन्डोन करने का आज इस सरकार के पास कोई इन्स्ट्रूमैंट और कोई मीन्ज नहीं है। This is a constitutional crisis in which this Government has to face dismissal and nothing else or we will have to approach the Governor for any via- media. This session is illegal. This Report of the Committee is only one sided affair. None of the members of the other parties was present in this meeting.

Mr. Speaker : Mr, Birender Singh was very much present there.

Shri Khurshid Ahmed : But nothing was happened in the meeting. (Noise).

Mr. Speaker : Your Hon'ble member, Ch. Birender Singh was very much present in the meeting.

Shri Khurshid Ahmed : ********** This is a contempt of the House. This is breach of privilege of this House and if we endorse it and if you do not agree with it then there is no other way for us except to take up the

*Expunged as per orders of the Hon'ble Speaker appearing at MSS Page 50 of Debate dated 22-7-97.

[Shri Khurshid Ahmed]
matter at some appropriate place wherever it is possible. We will have to report it to the President or to anybody whosoever is competent to take action against this Government. This Government has functioned in violation of the Constitution. If we go on tolerating such sort of things it can result into anything. It is not only a small matter that people start playing with the Constitution and a day will come when they will do away with democracy totally. That is the trend which is taking place in this State, and if it is being tolerated by the House this cannot be permitted. We have to take steps and we seek your cooperation that unless and until this matter is resolved nothing else should be transacted in this House except deciding this thing whether this Government is legal or otherwise after committing any illegality or violation of the Constitution. If it is a minor illegality then we can endorse it, but it is a serious matter and the House has no remedy to endorse a violation of the Constitution of India by the Government of Haryana. For this whosoever is responsible he will have to be accountable for this. I propose that we adjorn this House for the time being and re-summon it according to the rules after resolving this dispute of the illegal activity which has been going on in violation of the Constitution for weeks in the State. That is all, Mr. Speaker.

Shri Bansi Lal : Ordinances have been withdrawn with effect from the date they were issued being void ab initio.

(At this stage, many members started speaking without permission of the Speaker.)

श्री अध्यक्ष : ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए। सभी सदस्यगण अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाएं।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय समता पार्टी के उपस्थित सभी सदस्य हाउस की वैल में आकर नारे लगाने लगे) (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृष्णलाल जी, मैं आपको वार्न करता हूं। आप अपनी सीट लीजिए। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) भागी राम जी, आप इनको क्यों उकसा रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) कृष्णलाल जी, यह मेरी आपको लास्ट वार्निंग है। आप अपनी अपनी सीटों पर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) आप कृपया बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

मेरी आप लोगों से विनती है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) आपने जो कुछ भी कहना है अपनी सीट पर बैठकर कहिए। मैं आपसे फिर से रिक्वैस्ट करता हूं कि आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

(इस समय विपक्ष के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर बैठ गए)

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। राम पाल माजरा जी, आप बोलें।

श्री राम पाल माजरा (पाई) : अध्यक्ष महोदय, दो आर्डिनैंसिज, एक आदमी ने जारी कर दिए, शायद वे मुख्य मंत्री ही हैं। इन्होंने इस सदन के सभी सदस्यों के हक पर डाका डाला है इतना ही नहीं यह बैठक भी अपने आप में एक साजिश है। जान-बूझकर विरोधी पक्ष के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी बीर पाल सिंह जी, श्री रमेश खटक व कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी भजन लाल जी को इस सदन में न आने दिया जाए इसलिए इस प्रकार की साजिश की गई है। हरियाणा प्रदेश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो यहां आकर जनता की आवाज को बुलंद करते हैं उस बात से यह प्रदेश महरूम रह गया है। (शोर एवं व्यवधान) यह जनतंत्र है, लोकतंत्र है। असली ताकत तो जनता की है अब्राहम लिंकन ने कहा था in democracy, the Govt. is of the people, for the people and by the people. लेकिन हरियाणा प्रदेश में आज के संदर्भ में यह डैफीनेशन बदलती नजर आती है। जिस तरह से चौधरी बंसी लाल पहले तानाशाह के रूप में जाने जाते थे यह इस बात से प्रकट हो गया है कि Government is off the people to buy the people and far the people आज हरियाणा प्रदेश का तंत्र इस प्रकार का बन गया है (विघ्न) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से चौधरी बंसी लाल जी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने कल यात्री निवास में हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मन्त्रियों और विधायकों की मीटिंग की। वे अपनी बात को वहीं पर कह लेते तो फिर इस सदन को बुलाने की क्या आवश्यकता थी। सदन में तो विपक्ष को सुनना ही पड़ता है। परन्तु यह सुनना नहीं चाहते हैं। जिसकी वजह से गवर्नर महोदय ने दो आर्डीनैंसिज को वापस लेना पड़ा और इस सरकार पर असंवैधानिक काम करने की मोहर लगी यहां हर काम असंवैधानिक हो रहे हैं और आप बर्दाश्त करते जा रहे हैं। आपको इस बारे एक्शन लेना चाहिए (विघ्न) यह इस प्रकार का सैशन बुलाया गया है जिससे लोकतंत्र का हनन हुआ है और सभी मैम्बर साहेबान के अधिकारों को ठेस पहुंची है। यह हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज सुनने वाला सैशन नहीं है। यह सदन प्रदेश की जनता की समस्याओं को हल करने वाला और विकास करने वाला नहीं है। यह केवल गठबंधन की मीटिंग है और मैं तो यह कहता हूं कि यह मीटिंग तो ये यात्री निवास में ही बुला लेते यह सदन बुलाने की क्या जरूरत थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप भी इस गठबन्धन में शामिल हो जायें (विघ्न) मैं पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा कि वे बैठ जायें (विघ्न) Mr. Majra, I request you to use parliamentary language. You cannot speak whatever you like.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ और मजदूरों के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां की हैं उनको ठीक ढंग से उजागर करने के लिए विरोधी पक्ष की बहुत जरूरत थी परन्तु वे सदन में नहीं आये क्योंकि ये कर्मचारियों, व्यापारियों, किसानों और उन मजदूरों का दर्द ये सुन नहीं सकते क्योंकि जुल्म और ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं, तानाशाही बढ़ती जा रही है और लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, व्यापारी लोग चौटाला साहब की कहां सुनते हैं गांव से कुछ आदमी लाकर बैठा दिए और अखबारों में दे दिया कि व्यापारी आ गये। अब ये व्यापारी के नाम से चमकना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जिस तरह भिवानी में और चरखी दादरी में दो व्यापारियों का कत्ल कर दिया गया। ये व्यापारियों के हमदर्द कहां से हो गये। आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और करनाल में एक इण्डस्ट्रियलिस्ट को मार दिया गया ये व्यापारियों के हमदर्द कहां से हो सकते हैं। चौटाला साहब व्यापारियों के, कर्मचारियों के नेता हैं और दलाल साहब कान खोलकर सुन लो क्योंकि सच्चाई कहते ही आपको पतंगे लगते हैं अब किसी चीज को छिपाने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि हरियाणा में आज हर चीज तहस-नहस हो चुकी है और आप जैसे वर्करों की वजह से आपके नेता को भुकसान हो जायेगा (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, खुर्शीद अहमद जी बहुत पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं और इस अगस्ट हाउस में कई जिम्मेवारियों के ओहदे पर वे रहे हैं और मैम्बर पार्लियामैंट भी रहें हैं उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि इस अगस्ट हाउस को बुलाया जाना असंवैधानिक है। स्पीकर सर, आपने सही फरमाया कि यह ऐसा सातवां सत्र है जो इस तरह से प्रोरोग होने से पहले बुलाया गया है। यह अगस्ट हाउस अपने आप में सार्वभौम है और अपने किए हुए फैसले को बदल सकता है और सत्र इस तरह से बुलाया जा सकता है। स्पीकर सर, जिस आर्डिनैंसिज की बात चौधरी खुर्शीद अहमद जी कह रहे हैं, उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार या गवर्नर साहब कोई आर्डिनैंसिज जारी करते हैं तो उसको वापिस भी ले सकते हैं। आज से बहुत पहले जिस तिथि को वह आर्डिनैंसिज जारी हुए थे, उसको उसी तिथि से समाप्त कर दिया गया, तथा अब उस का कोई इफैक्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त, जिस बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग की बात चौधरी खुर्शीद अहमद जी ने कही, उस मीटिंग में चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी भी उपस्थित थे। बहुत हंसी खुशी से वह मीटिंग पूर्ण हुई। उस में रसगुल्ले भी खाए गए।(शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक वह मीटिंग आपकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उस मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी थे, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी थे, उपाध्यक्ष महोदय थे, संसदीय कार्य मंत्री श्री कर्ण सिंह दलाल जी थे तथा मैं भी उपस्थित था। उस मीटिंग में सारे मुद्दों पर चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने अपनी पार्टी की तरफ से काफी डिस्कशन की। उस में मुख्य मंत्री जी ने बीरेन्द्र सिंह जी से कहा कि हमारी 11.00 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि उनके मास्टर श्री भुपिन्द्र सिंह हुड्डा जी आए हुए हैं तथा उनकी ही अध्यक्षता में उनकी भी कोई मीटिंग होनी थी। अतः मैं चौधरी खुर्शीद अहमद जी को सच्चाई बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने कोई बहिष्कार नहीं किया। वह मीटिंग बहुत अच्छी तरह से सद्भावपूर्वक सम्पन्न हुई। चौधरी खुर्शीद अहमद जी तो इस प्रकार की कच्ची व रल्ली-छल्ली बातों पर विश्वास नहीं करते थे। पता नहीं उनको इस प्रकार की खबरें कहां से आने लगी हैं।(शोर एवं व्यवधान) दूसरी बात यह है कि जो बात चौधरी खुर्शीद अहमद जी ने कही वह इनकी समझ में तो नहीं आ पाई है। अगर समता पार्टी के माननीय विधायक श्री बलबीर जी पहलवान श्री खुर्शीद अहमद जी द्वारा प्रारम्भ से लेकर अंत तक अंग्रेजी में की गई तकरीर का एक वाक्य भी बता दें तो मैं मान जाऊंगा।(विघ्न) वे जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन के संबंध में ही मैं कुछ बातें कह रहा हूं। श्री रामपाल माजरा भी व्यापारियों व चौधरी बंसी लाल की तानाशाह सरकार की बात कह रहे थे।(शोर) अध्यक्ष महोदय, इस अगस्ट हाउस का रिकार्ड है कि आपकी रहनुमाई में यह सदन अच्छी तरह से चला है। पिछली बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सदन में एक एडजर्नमैंट मोशन रखा था तथा सदन के नेता ने कहा कि आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर ही छोड़ दें इस मोशन पर जिस तरह से जितने समय तक वे बहस करानां चाहें, करा सकते हैं तथा उस पर पूरी बहस कराई गई तथा पूरा समय दिया गया। लेकिन ये केवल शराबबंदी को लेकर के ही निराधार बातें कह रहे हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इनको यह शराबबंदी हज्म नहीं हो रही है। सारी दुनिया इस बात की तारीफ कर रही है।

(शोर) स्पीकर सर, इस सैशन का बुलाया जाना बहुत ही संवैधानिक है। इसमें कहीं पर भी कोई असंवैधानिक बात नहीं है। पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में भी Government is run through deliberations. सदन उसका सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक स्वरूप है। चौधरी खुर्शीद अहमद जी का यह खदसा ठीक नहीं है। इस सदन को बिल्कुल ही संवैधानिक और प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुरूप ही बुलाया गया है। (शोर) मुझे भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। इस प्रकार से हमने इनको बीच में इंट्रप्ट नहीं किया। हमने तो इनकी बातों को बड़ी शांति से सुना है। आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें। हमने आपकी बातों को ध्यान से सुना है। हमने चौधरी खुर्शीद अहमद जी की बातों को ध्यान से सुना है। माननीय सदस्य रामपाल माजरा की बातों को ध्यान से सुना है और चौधरी बीरेन्द्र सिंह की बातों को हम ध्यान से सुनेंगे इसलिए आप मेरी बात को पूरा होने दें। आप राज्यपाल महोदय के बारे में कह रहे थे राज्यपाल महोदय ने उन दोनों आर्डीनैंसिज को विदड्रा कर लिया। स्पीकर साहब, आपने इस अगस्त हाउस को सम्मन किया है। आपको इस बात का अधिकार है कि आप इस अगस्त हाउस को सम्मन कर सकते हैं।

Mr. Speaker : Ch. Birender Singh Ji, you please take your seat. Ch. Balbir Singh will speak first. Ch. Balbir Singh, you please speak.

श्री बलबीर सिंह (मेहम) : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा शिक्षा मंत्री बहुत ही विद्वान हैं इन्होंने मेरा नाम लेकर एक बात कही है मैं आपके माध्यम से उस बात का इनको जवाब देना चाहूंगा और जवाब लेना भी चाहूंगा। (शोर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जब तक चौधरी बलबीर सिंह जी बोलें दूसरा माननीय सदस्य इनके बीच में न बोले।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा कर इस सदन के चार माननीय सदस्यों लीडर औफ दि अपोजिशन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री भजन लाल, चौधरी धीरपाल जी और रमेश खटक को सदन से बाहर रखा गया है। आज तक ऐसे किसी भी मुख्य मंत्री के समय में नहीं किया गया। (शोर) अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लेकर इन्होंने बात कही है इसलिए मैं उसका जवाब देना चाहूंगा।

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

वाक-आउट

आवाजें : स्पीकर साहब, हम इस रिपोर्ट की सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। इसलिए हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित समता पार्टी तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए)

सदन की मेज़ पर रखे गए कागज़-पत्र

Mr. Speaker : Now a Minister will lay the papers on the Table of the House.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) :Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S. R. 11/H.L.A. 20/73/S.64/97, dated the14th March, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S. R. 37/H.A. 20/73/S.64/97, dated the 28th May, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 39/H.A. 20/73/S.64/97, dated the 28th May, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R.40/H.A.20/ 73/S. 64/97, dated the 3rd June, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 22/Const.Art. 320/Amd. (1)/97, dated the 11th April, 1997 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1997 as required under Article 320 (5) of the constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 33/ H.A. 3/70/S. 8 and 9/97, dated the 15th May, 1997 regarding the Haryana Ministers Travelling Allowance (Amendment) Rules,1997 as required under Section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The Annual Report of Haryana State Board for the Prevention & Control of Water Pollution for the year 1991-92 as required under Section 39(2) of the Water (Prevention & Control of Pollution)Act,1974.

The 20th Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 1993-94 as required under Section 619-A (3) of the Companies Act, 1956.

The 21st Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 1994-95 as required under Section 619-A (3) of the Companies Act, 1956.

The 22nd Annual Report of the Haryana Seeds Development Corporation Limited for the year 1995-96 as required under Section 619-A (3) of the Companies Act, 1956.

The 29th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1995-96 as required under Section 31(11) of the Warehousing Coporation Act, 1962.

The Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1997-98 and revised Estimates for the year 1996-97 as required under Section 61(3) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The 29th Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1995-96 as required under Section 69(5) (a) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

वर्ष 1992-93 की एक्सैस डिमांडज़ ओवर ग्रांटस एंड एप्रोप्रिएशंज प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1992-93.

Finance Minister (Shri Charan Dass) : Sir, I beg to present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1992-93.

बिल्ज़ —

(i) दि हरियाणा एंड पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now the Agriculture Minister will introduce the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill, 1997 and also move the motion for its consideration.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to introduce the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill,1997. I also beg to move—

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Agriculture Minister will move that the Bill be passed.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Queation is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now, the Food & Supplies Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill, 1997 and also move the motion for its consideration.

Food and Supplies Minister (Shri Ganeshi Lal) : Sir, I beg to introducer the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill, 1997.

स्पीकर सर, यह बिल हम इसलिए लाए हैं कि जिनके पास इल्लिसिट लिक्वर की समगल्ड की हुई 36 बोतल से ज्यादा बोतलें पकड़ी जाएं तो उनकी जमानत न हो सके। पहले मैण्डेटरी प्रोसिक्यूशन में ले कर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते थे लेकिन कोर्टस में जाकर उनकी जमानत हो जाती है। सरकार चाहती है कि ऐसे सब लोग जिनके पास 36 बोलत से ज्यादा इल्लिसिट लिक्वर पकड़ी जाए उनकी

जमानत न हो पाए। अब यह मन्शा है कि पहले इन लोगों को इन्टैरोगेट किया जाए ताकि इस धन्धे के पीछे जो लोग काम करते हैं और गवर्नमैंट की पॉलिसी को फलाउट करते हैं ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। इस से पहले यह देखा गया है कि जितने भी ऐसे केसिज़ पकड़े जाते थे लगभग वे जमानत पर छूट जाते हैं यह बिल इसलिए लाए हैं ताकि वे लोग जमानत पर न छूट सकें और पकड़े जा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

दि पंजाब एक्साईज़ (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Food and Supplies Minister will move that the Bill be passed.

Food and Supplies Minister (Shri Ganeshi Lal) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा जनरल सेल्ज़ टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1997 and also move the motion for its consideration.

नगर एवं शहरी आयोजना मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा साधारण विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1997 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि हरियाणा साधारण विक्रय कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Town & Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

शहरी एवं नगर आयोजना मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

*16.56 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 22nd July, 1997.

29034—H.V.S.—H.G.P., Chd.